

61 वाँ
st

वार्षिक प्रतिवेदन
**ANNUAL
REPORT
2024-2025**



इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड

(भारत सरकार संस्थान)

Instrumentation Limited

(A Government of India Enterprise)

निदेशक मण्डल



श्री राजेश कुमार



श्री मदन पाल सिंह



डॉ. श्रीमती आर.एच. लता

निदेशक मण्डल	: श्री थांगावेलू रवि	चेयरमैन एवम् प्रबन्ध निदेशक अतिरिक्त चार्ज (24/03/2023 से 29/09/2024)
	श्री पंकज कुमार वशिष्ठ	चेयरमैन एवम् प्रबन्ध निदेशक अतिरिक्त चार्ज (25/09/2024 से 31/05/2025)
	श्री राजेश कुमार	निदेशक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक, एम.एच.आई. (30/09/2020 से)
	श्री मदन पाल सिंह	निदेशक (सरकार द्वारा नामित) निदेशक, (वित्त) (09/11/2020 से)
	डॉ. श्रीमती आर.एच. लता	स्वतंत्र निदेशक (28/03/2025 से)
कम्पनी सचिव	: श्रीमती अंजली गुप्ता	
अंकेशक	: मैसर्स एन सिंघल एण्ड कम्पनी	सांविधिक अंकेशक
	मैसर्स रामचन्द्रन एण्ड रामचन्द्रन	शाखा अंकेशक
पंजीकृत कार्यालय	: केयर ऑफ हिन्दुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जी-229, सीतापुरा इण्डस्ट्रियल ऐरिया, जयपुर 302022 (राजस्थान)	
उत्पादन कार्य	: कांजीकोडे (पश्चिम), पलक्कड-678623, केरल	

विषय सूची

अध्यक्षीय प्रतिवेदन	3—6
निदेशकों की रिपोर्ट	7—30
नियंत्रक एवं महालेखा – परिक्षक की टिप्पणीयाँ	31—33
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	34—53
तुलन पत्र	54
लाभ—हानि वक्तव्य	55
रोकड़ प्रवाह वक्तव्य	56
वित्तीय लेखों पर टिप्पणियाँ	57—84

अध्यक्षीय प्रतिवेदन

प्रिय सदस्यों,

कंपनी की 61वीं वार्षिक आम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। निदेशकों की रिपोर्ट, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखे और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ आपके पास हैं। आपकी अनुमति से, मैं उपरोक्त दस्तावेजों को पढ़ा हुआ स्वीकार करता हूँ।

प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएँ

वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने वर्ष 2023-24 के ₹9585.87 लाख रुपये के कारोबार की तुलना में ₹12820.94 लाख रुपये का कारोबार किया। 2024-25 में कुल आय ₹13379.81 लाख रुपये है, जबकि 2023-24 में यह ₹10178 लाख रुपये थी। पिछले वर्ष की ₹12400 लाख रुपये की ऑर्डर बुकिंग की तुलना में इस वर्ष ₹12500 लाख रुपये की ऑर्डर बुकिंग हुई।

वर्ष 2024-2025 में परिचालन लाभ ₹2290 लाख रुपये था, जबकि 2023-24 में यह ₹1292 लाख रुपये था। इसी प्रकार, 2024-25 में कर के बाद शुद्ध आय ₹1378 लाख रुपये होगी, जबकि पिछले वर्ष यह ₹701.00 लाख रुपये थी।

मैं कंपनी के मार्गदर्शन में भारी उद्योग मंत्रालय के अत्यधिक सहयोग को दर्ज करना चाहूंगा, जिससे कंपनी को टर्नओवर और ऑर्डर बुकिंग के लक्ष्य को पार करने में मदद मिली।

कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 11 नए ग्राहक जोड़े हैं और आपको यह जानकर खुशी होगी कि 53 प्रतिशत से अधिक ऑर्डर निजी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं।

ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और ग्राहकों की

आवश्यकताओं के अनुसार ऑर्डर निष्पादित करने के लिए एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी और 4 कर्मचारियों की एक अनुभवी टीम के नेतृत्व में एक परियोजना प्रबंधन समूह (पीएमजी) का गठन करके कई रणनीतिक निर्णय लिए गए। पीएमजी चयनित आदेशों के निष्पादन का कार्यभार संभालता है और सभी विभागों, विक्रेताओं, निरीक्षण एजेंसियों, ग्राहकों आदि के बीच बातचीत और समन्वय करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि महत्वपूर्ण इनपुट समय पर उपलब्ध हों। इससे वाणिज्यिक विभाग को ऑर्डर निष्पादन की जिम्मेदारियों से भी मुक्ति मिलती है और बदले में उनके पास विपणन गतिविधियों और ऑर्डर बुकिंग के लिए अधिक समय होता है।

खरीद प्रक्रिया को स्मार्ट निष्पादन रणनीति के माध्यम से अधिक कुशल बनाया गया है, जिसमें आदेशों को आसानी से निष्पादित करने के लिए शेष वस्तुओं को प्राप्त करने, पुनः-आदेश स्तर की सूची का पुनर्मूल्यांकन और निर्धारण, विक्रेताओं के नियमित दौरे आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता वाले आदेशों को निष्पादित करने में मदद मिली और कठिन और विघटनकारी बाजार में कंपनी के संचालन को कुशलतापूर्वक बनाए रखने में मदद मिली।

बाजार और वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी संगठनात्मक मुद्दों का उचित समाधान किया गया। कंपनी के पास अपनी तकनीक होने और अच्छे ऑर्डर होने की अंतर्निहित शक्ति है और वह इन्हें बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कंपनी सक्षम प्रबंधकों, कड़ी मेहनत करने वाले कर्मचारियों और अत्यंत अच्छे औद्योगिक संबंधों के कारण

सफलतापूर्वक अपना परिचालन जारी रखे हुए है।

आईएसओ-9001 (2015), आईएसओ-14001 (2015), आईएसओ-29001 तथा ओएचएसएस-45001 (2018) प्रमाणीकरण

सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनी ने आईएसओ-9001 (2015), आईएसओ-14001 (2015), आईएसओ - 29001 के प्रमाण बनाये रखे। इससे गुणवत्ता उत्पाद तथा सेवाओं की स्थिति प्रकट हुई है जोकि समकालीन व्यापार में अतिआवश्यक है। हाल ही में तेल एवम् गैस तथा प्राकृतिक गैस के लिए लिये गये आईएसओ 29001 से इस क्षेत्र में कम्पनी के व्यापार को निर्यात सहित बढ़ावा मिला है।

एमएचआई के साथ एम.ओ.यू.

डीपीई पत्र संख्या एम-03/0009/2019-डीपीई (एमओयू) दिनांकित 29/10/2021 के अनुसार वर्ष 2024-25 के एम.ओ.यू. लक्ष्य आंतरिक रूप से निर्धारित किये गये थे तथा जिनका निरीक्षण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। कम्पनी के प्रदर्शन का एमएचआई के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। एमएचआई में प्रस्तुत किये गये वर्ष 2024-25 के एमओयू लक्ष्यों के अनुसार, कम्पनी ने लक्ष्यों को हासिल किया है जिसमे संचालन से आय की उत्कृष्ट रेटिंग, परिसंचालन लाभ व कर के पश्चात् लाभ तथा ऑर्डर बुकिंग हेतु अच्छी रेटिंग शामिल है।

अधीन कम्पनी

कम्पनी की कोई भी अधीन कम्पनी नहीं है।

कम्पनी की वर्तमान स्थिति

कंपनी भारत सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता के बिना एमएचआई के तहत स्वतंत्र रूप से लाभदायक तरीके से अपना संचालन जारी रखे हुए है।

कोटा में समापन गतिविधियों की स्थिति

कोटा में समापन गतिविधियाँ सम्पूर्ण कर ली गई हैं।

आगामी पथ

मैं यह कहना चाहता हूँ कि निरंतर तनावपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद, बीता वर्ष परिचालन के नजरिए से बहुत अच्छा माना जा सकता है। कंपनी ने बाज़ार में अपने उत्पादों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमने पूरी ईमानदारी से ग्राहकों के उस विश्वास को बनाए रखने का प्रयास किया है जो उन्होंने हम पर जताया था, जिससे हमें परिस्थितियों का यथार्थपूर्ण ढंग से सामना करने की शक्ति मिली।

भावी योजनाएँ

कंपनी के पास अपनी स्वदेशी तकनीक है और वह नवीनतम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा प्रक्रिया उद्योगों की कठिन परिचालन स्थितियों के अनुसार नए उत्पादों को डिजाइन करने में सक्षम है। कंपनी मौजूदा उत्पादों को अंतिम उपयोगकर्ता की प्रवाह आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करने में भी सक्षम है। इस प्रकार कंपनी माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विज़न को साकार कर रही है।

आईएल द्वारा विकसित और व्यावसायिक रूप से लॉन्च किए गए चार नए उत्पादों ने वर्ष 2024-25 में अच्छे ऑर्डर दिए हैं। 6 नए उत्पादों के विकास का कार्य प्रगति पर है।

अपनी प्रौद्योगिकी से निर्मित उत्पाद तकनीकी रूप से समतुल्य होते हैं और कभी-कभी किसी विदेशी निर्माता या बहुराष्ट्रीय कंपनी के उत्पादों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, वह भी कम लागत पर। कंपनी के उत्पादों की कीमतें निजी कंपनियों के उत्पादों के

मुकाबले बेहद प्रतिस्पर्धी और तुलनीय हैं। कंपनी बाज़ार की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति का सामना करने में सक्षम है।

कंपनी द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले रणनीतिक क्षेत्र परमाणु, परमाणु अनुसंधान और अंतरिक्ष हैं। कंपनी द्वारा प्रक्रिया उद्योगों में सेवा प्रदान किए जाने वाले अन्य क्षेत्र इस्पात, तापीय, पेट्रोकेमिकल, तेल एवं गैस, शोधन, तेल पाइपलाइन, उर्वरक, कागज एवं लुगदी, सीमेंट, खनिज एवं खनन आदि हैं।

किसी विशेष क्षेत्र में मांग में उतार-चढ़ाव कंपनी के व्यवसाय को प्रभावित नहीं करता है। कंपनी के उत्पादों की आवश्यकता उपरोक्त सभी क्षेत्रों को प्रारंभिक स्थापना, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के दौरान, और कुछ वर्षों के उपयोग के बाद मौजूदा वाल्वों को पुर्जों के रूप में बदलने के लिए भी होती है। इसलिए, मौजूदा परियोजनाओं और भविष्य में आने वाली नई परियोजनाओं से निरंतर व्यवसाय बना रहेगा।

भारत सरकार द्वारा ताप विद्युत क्षेत्र को हाल ही में दिए गए प्रोत्साहन और 800 मेगावाट से अधिक की 40 इकाइयों को अंतिम रूप दिए जाने के परिणामस्वरूप, भेल, जीई पावर, एलएंडटी, एमएचपीएस आदि से ताप विद्युत क्षेत्र में ऑर्डर बुकिंग में वृद्धि हुई है और आईएल को वित्त वर्ष 2024-25 में ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। कंपनी को 2025-26 में भी लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि ऐसी कंपनियों के लिए कंट्रोल वाल्व के टेंडर अंतिम रूप से तय हो चुके हैं।

ग्राहकों में जीई पावर, एलएंडटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी, टीएलटी इंजीनियरिंग, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, आर्सेलर मित्तल, नायरा, हिंडाल्को, बिड़ला समूह जैसी निजी कंपनियाँ; इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग, आईजीसीएआर, राज्य विद्युत बोर्ड जैसी

विशुद्ध सरकारी संस्थाएँ; एनपीसीआईएल, भेल, आईओसीएल, सेल, ओएनजीसी, एनएफएल, एनटीपीसी, एनएलसी, जीएनएफसी जैसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ और ईआईएल, टेक्निप, थर्मैक्स, थिसेन क्रुप, आईएसजीईसी जैसी सलाहकार कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी को कार्यस्थल पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण बार-बार ऑर्डर मिल रहे हैं। ग्राहकों का यह विस्तृत दायरा भविष्य में व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

कंपनी एनपीसीआईएल, इसरो, आईजीसीएआर, बीएचईएल और ईआईएल जैसे अत्यधिक तकनीकी रूप से मांग वाले ग्राहकों के लिए 6 नए उत्पाद विकसित कर रही है। ये सभी नई पहल भविष्य में कंपनी के व्यावसायिक संचालन की निरंतरता और विस्तार सुनिश्चित करेंगी।

FGD जैसी जलवायु नियंत्रण प्रक्रिया प्रणालियों के लिए नव-विकसित बटरफ्लाई वाल्वों के व्यवसाय में कुछ चिंताएँ हैं, क्योंकि सरकार ने SO2 उत्सर्जन मानदंडों की नीति में ढील दी है, जिसका श्वक वाल्वों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, कंपनी के विविध उत्पाद पोर्टफोलियो में एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में होने वाले व्यावसायिक नुकसान को संतुलित करने की क्षमता है।

कंपनी को राज्य डिस्कॉम के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण सेवा और पाइपलाइन अनुप्रयोगों के लिए वाल्व के अपने विविध नए वर्टिकल से पर्याप्त ऑर्डर मिल रहे हैं।

विविधीकरण की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए, कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (पीएमजी) व्यवसाय में भी संभावनाएं तलाश रही है। हालाँकि, यह उसके मुख्य कंट्रोल वाल्व व्यवसाय के

अतिरिक्त है, जो लगातार फल-फूल रहा है।

सतर्कता:

कंपनी अपने कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। हमारे पास मुख्य सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में एक सतर्कता विभाग है। वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रबंधन के एक प्रभावी अंग के रूप में कार्य किया। हमारा मुख्य जोर निवारक सतर्कता पर रहा।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा कार्मिक प्रबंधन

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे और हमेशा की तरह सुचारु संचालन में सहायक रहे। चालू वर्ष में कंपनी ने औद्योगिक अनुशासन के मामले में काफी सुधार किया है, समग्र वातावरण सकारात्मक रहा है और यूनियनों के साथ भी अत्यंत सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए हैं। पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से यूनियनों द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान/गेट मीटिंग की एक भी घटना नहीं हुई है। यूनियनों की अपेक्षाओं/समस्याओं का कंपनी के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व-निर्धारित और समाधान किया जाता है।

निगमित प्रशासन

मेरा दृढ़ विश्वास है कि सुचारु कॉर्पोरेट प्रशासन सभी हितधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करता है, जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों को पूरा करता है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से पालन करने की प्रतिबद्धता है। कंपनी के सभी परिचालनों और गतिविधियों के समग्र विकास के लिए यह अनिवार्य है। सभी लागू कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों/रिपोर्टों का समय पर पालन/प्रस्तुति की जाती है और कंपनी को लगातार

बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त हुई है।

आभार:

मैं कंपनी के मार्गदर्शन में अपने सहयोगियों के बहुमूल्य योगदान और बोर्ड में सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा और कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहूंगा।

मैं आपसे निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन की अपेक्षा करता हूँ, जैसा कि कंपनी को अब तक मिलता रहा है। हम कंपनी को दी गई सहायता के लिए भारत सरकार और अन्य एजेंसियों व प्राधिकारियों के आभारी हैं।

मैं बोर्ड की ओर से सभी सहकर्मियों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों और व्यावसायिक सहयोगियों से प्राप्त समर्थन और विश्वास के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ।

हम कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी उनके अवलोकनों और सुझावों के लिए आभारी हैं।

मैं राज्य सरकार के विभागों और हमारे बैंकों भारतीय स्टेट बैंक को उनके अथक सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने विक्रेताओं और सहयोगियों के व्यावसायिक सहयोग के लिए आभारी हूँ।

मैं कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के माध्यम से दिए गए अपार योगदान के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ।

अब मैं निदेशकों की रिपोर्ट के साथ-साथ वर्ष 2024-2025 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और "लाभ और हानि" के विवरण को अनुमोदित और अपनाए जाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

राजेश कुमार
निदेशक, एमएचआई

निदेशक रिपोर्ट

सेवा में,

अंशधारक,

महोदया एवम् महोदय,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष की 61वीं वार्षिक रिपोर्ट अंकेक्षक लेखों, सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा उन पर भारत के नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक की टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है।

प्रदर्शन से सम्बन्धित विशिष्टता

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं जिसमें राजस्व की पहचान की गई है और व्यय का लेखा-जोखा लेखांकन की उपार्जन प्रणाली पर किया गया है।

वर्ष 2024-25 के एम.ओ.यू. लक्ष्य आंतरिक रूप से निर्धारित किये गये थे तथा जिनका निरीक्षण उद्योग मंत्रालय द्वारा डीपीई पत्र संख्या एम-03/0009/2019-डीपीई(एमओयू) दिनांकित 29/10/2021 के अधीन किया गया था।

वर्ष 2024-25 के दौरान कम्पनी ने वर्ष 2023-24 के 9585.87 लाख रुपये के कारोबार की तुलना में 12820.94 लाख रुपये का कारोबार किया।

वर्ष 2024-25 में कम्पनी ने विगत वर्ष में हुए 1291.98 लाख रुपये के लाभ की तुलना में 2289.77 लाख रुपये के लाभ को अर्जित किया।

विगत वर्ष में कर के पश्चात् हुए शुद्ध लाभ 701 लाख रुपये की तुलना में वर्ष 2024-25 में कर के पश्चात् शुद्ध लाभ 1378.43 लाख रुपये था।

परिचालन के परिणाम

विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2024-25 के परिचालन परिणामों की मुख्य विशेषतायें निम्न प्रकार हैं:-

(रूपये लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	आवर्त	12820.94	9585.57
	आंतरिक उपयोग के लिए किये गये कार्य	—	—
	शुद्ध आवर्त	12820.94	9585.57
2.	अन्य आय	558.87	593.23
	कुल आय	13379.81	10178.80
3.	सामग्री पर व्यय	5814.05	4605.85
4.	वृद्धि/कमी	8.25	₹88.69)
5.	कर्मचारियों का पारिश्रमिक और अनुलाभ	2620.29	2734.71
6.	सेवायें एवम् उप-संविदाएँ	1150.21	866.02
7.	वित्तीय लागत	—	—
8.	भास एवम् आस्थगित	100.83	124.71
9.	अन्य खर्च	1396.42	944.42
10.	कुल खर्च	11090.04	8886.82
11.	लाभ/हानि अपवाद एवम् असाधारण मदों से पूर्व	2289.77	1291.98
12.	अपवाद मद की आय (खर्च)	₹11.34)	₹90.08)
13.	लाभ/हानि असाधारण मदों एवम् कर से पूर्व	1378.43	701.00
14.	असाधारण मद	—	—
15.	लाभ/हानि कर से पूर्व	1378.43	701.00
16.	कर	—	—
17.	वर्ष के लाभ/हानि	1378.43	701.00

आदेश प्राप्ति

वर्ष 2024-25 के दौरान कम्पनी ने अपनी गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना किया है जिससे कम्पनी के लाभ पर काफी असर पड़ा है। हाल ही में थर्मल परियोजना के लिए हुई जीईम निविदाओं की रिवर्स निलामी में प्रतियोगियों के द्वारा मूल्यों को गिराने का रिवाज प्रदर्शित किया गया है ताकि आदेश प्राप्त हो सके। परन्तु, उच्च गुणवत्ता वाले

उत्पाद व सेवाओं के कारण तथा पूर्व रिकॉर्ड की वजह से कम्पनी ने विगत वर्ष के प्राप्त हुए ₹12400 लाख रूपयों के आदेशों की तुलना में ₹12500 लाख रूपये के आदेश प्राप्त किये।

आईएसओ-9001 (2015), आईएसओ-14001 (2015), आईएसओ-29001 तथा ओएचएसएस-45001 (2018) प्रमाणीकरण

सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनी ने आईएसओ-9001 (2015), आईएसओ-14001 (2015), आईएसओ-29001 के प्रमाण बनाये रखे। इससे गुणवत्ता उत्पाद तथा सेवाओं की स्थिति प्रकट हुई है जोकि समकालीन व्यापार में अतिआवश्यक है। हाल ही में तेल एवम् गैस तथा प्राकृतिक गैस के लिए लिये गये आईएसओ 29001 से इस क्षेत्र में कम्पनी के व्यापार को निर्यात सहित बढ़ावा मिला है।

निर्यात

सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनी की पलक्कड इकाई के द्वारा ₹213.69 लाख रूपये के भौतिक निर्यात का कारोबार हासिल किया गया है (विगत वर्ष ₹238.70 लाख रूपये)।

लाभांश

निदेशकों ने ₹413.53 लाख रूपये के लाभांश का सुझाव दिया है जोकि कर के पश्चात् लाभ ₹137.43 लाख रूपये का 30 प्रतिशत है तथा डीपीई के प्रावधानों के अनुसार है।

आरक्षित

निदेशक सम्बन्धित वर्ष के आरक्षित में किसी भी राशि को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

जमा का विवरण

सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनी ने ना तो कोई जमा स्वीकार और ना ही किसी जमा का नवीनीकरण कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 73 सहपठित कम्पनीज (जमा के स्वीकार) नियम, 2014 के प्रावधानों के तहत किया है।

वित्त

दिनांक 31/03/2024 को कम्पनी की प्रदत्त पूँजी ₹2404.53 लाख रूपये रही तथा अंश आवेदन राशि ₹12200.96 लाख रूपये इक्विटी तथा प्रिफरेंस अंश के आवंटन हेतु लम्बित है। भारत सरकार से ₹51647.37 लाख रूपये का ब्याज मुक्त ऋण, भारत के समेकित कोष में वापिस की गई राशि के समायोजन के पश्चात्, कोटा कॉम्प्लेक्स के समापन के लिए प्राप्त किया गया जिसे इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है।

सरकार/सरकारी उपक्रम से प्राप्त किये गये ऋण

भारत सरकार द्वारा कोटा कॉम्प्लेक्स को बन्द करने हेतु लिये गये निर्णय के विरुद्ध ₹58457 लाख रूपये की राशि का ऋण कर्मचारियों के प्रति दायित्व तथा अन्य अदायगियों हेतु दिया गया है। भारत के समेकित कोष में वापिस की गई राशि के समायोजन के पश्चात् इस ऋण की राशि ₹51467.37 लाख रूपये है।

कार्यशील पूँजी

सम्बन्धित वर्ष के दौरान सामान व विविध देनदार ₹5008.92 लाख रूपये तथा ₹5634.50 लाख रूपये क्रमशः विगत वर्ष ₹5725.78 लाख रूपये तथा ₹4606.37 लाख रूपये क्रमशः की तुलना में थे। कम्पनी के क्रियाकलाप सुचारु रूप से पर्याप्त कार्यशील पूँजी के साथ चल रहे हैं। कम्पनी ने बैंक के पास उपलब्ध अपनी नगद ऋण सीमा का उपयोग अपनी कार्यशील पूँजी के लिए नहीं किया है तथा अपने समस्त संचालनों का प्रबन्ध देनदारों से प्राप्त संग्रह से किया है।

एमएचआई के साथ एम.ओ.यू.

डीपीई पत्र संख्या एम-03/0009/2019-डीपीई(एमओयू) दिनांकित 29/10/2021 के अनुसार वर्ष 2024-25 के एम.ओ.यू. लक्ष्य आंतरिक रूप से निर्धारित किये गये थे तथा जिनका निरीक्षण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। कम्पनी के प्रदर्शन का एमएचआई के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। एमएचआई में प्रस्तुत किये गये वर्ष 2024-25 के

एमओयू लक्ष्यों के अनुसार, कम्पनी ने लक्ष्यों को हासिल किया है जिसमें संचालन से आय की उत्कृष्ट रेटिंग, परिसंचालन लाभ व कर के पश्चात् लाभ तथा ऑर्डर बुकिंग हेतु अच्छी रेटिंग शामिल है।

भावी योजनाएँ

कम्पनी प्रक्रिया उद्योगों हेतु नियंत्रण वाल्व के क्षेत्र में कार्य करती है। कम्पनी के पास अपने उत्पाद के निर्माण तथा प्रक्रिया उद्योग की नई तथा गम्भीर आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पाद में बदलाव हेतु उत्कृष्ट तकनीक उपलब्ध है। कम्पनी के पास नए उत्पाद बनाने तथा उनमें विविधता लाने की क्षमता है जोकि भविष्य के विकास हेतु विशाल व्यापकता प्रदान करती है।

कम्पनी ने स्वयं को नए क्षेत्रों की ओर बढ़ाया है तथा तथा अपने विकसित नए उत्पाद हेतु अच्छे ऑर्डर प्राप्त किये हैं।

कम्पनी ने सिवियर सर्विस एप्लीकेशन, सिरयोजेनिक एप्लीकेशन्स तथा डी-सुपरहीटर्स एप्लीकेशन्स के लिए नए उत्पादों के विकास का कार्य किया है। कम्पनी ने सोलेनॉइड वाल्व्स के विकास कार्य को पूर्ण किया है तथा एनपीसीआईएल ने सोलेनॉइड वाल्व्स की नियम टाईप टेस्टिंग पूर्ण की है। एनीसीआईएल ने वाल्व्स को मंजूरी दे दी है तथा पुराने व नए न्यूक्लियर परियोजना से परे वित्तीय वर्ष 2025-26 में अच्छा व्यापार होने की आशा है। कम्पनी के स्वयं के द्वारा डिजाईन किये गये उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मानकों तथा विशिष्टताओं के अनुसार हैं तथा समस्त उत्पाद घरेलू तकनीक से बनाये हुए हैं जोकि भारत सरकार की मेक इन इण्डिया पहल में योगदान है। नियमित ग्राहकों की आवश्यकताएँ विशिष्टतः स्टील, तेल तथा गैस के क्षेत्र में बढ़ रही है। कम्पनी के समस्त प्रयास यह सुनिश्चित करते हैं कि भावी योजनाएँ अच्छी हैं तथा कम्पनी विकास के पथ पर अग्रसर है।

अधीन कम्पनी

कम्पनी की कोई भी अधीन कम्पनी नहीं है।

प्रबन्धन में श्रमिकों की सहभागिता

इस विषय में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा अपनेपन की भावना तथा कर्मचारियों के बीच एकजुट की भावना को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ निरन्तर संवाद किये जाते हैं जहाँ पर विचार-विमर्श के दौरान उत्पादकता, दक्षता, अनुपस्थिति, अपव्यय को कम करने के लिए उपयोगी योगदान उभरता है। औद्योगिक सम्बन्ध बिना किसी कार्यदिवस के नुकसान के उत्कृष्ट रहे हैं।

एस.सी., एस.टी. तथा अपंगजनों के लिए आरक्षण

सम्बन्धित वर्ष के दौरान एस.सी., एस.टी., शारीरिक रूप से विकलांग तथा पूर्व कर्मचारियों इत्यादि से सम्बन्धित भारत सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना की गई है। वर्ष के अन्त में इस श्रेणी से सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या 19 है जोकि कुल कर्मचारी क्षमता 123 का 15 प्रतिशत है।

कार्मिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध तथा कल्याण

कम्पनी में औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण रहे हैं।

मानव संसाधन तथा विकास

मानव संसाधन का उचित उपयोग तथा कार्य संस्कृति तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा कर्मचारियों को उनके कौशल के विकास के लिए प्रशिक्षित/पुनःप्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किये जाते हैं।

सतर्कता तंत्र

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) तथा (10) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने कर्मचारियों तथा निदेशकों के उत्पीड़न के खिलाफ तथा अपने निदेशकों और कर्मचारियों को अपनी वास्तविक चिन्ताएँ तथा शिकायतें जिसमें अनुचित तथा अनैतिक व्यवहार/ कदाचार / वास्तविक या निलम्बित धोखाधड़ी/ आचार संहिता का उल्लंघन

शामिल है परन्तु इन तक सीमित नहीं है, जो कम्पनी के व्यवसाय पर प्रभाव डालती हो, को रिपोर्ट करने हेतु सक्षम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित प्रणाली स्थापित की है। कम्पनी ने एक मुखबिर नीति को बनाया तथा लागू किया है। कम्पनी का सतर्कता तंत्र तथा मुखबिर नीति कम्पनी की वेबसाइट www.ilpgt.com पर उपलब्ध है।

कोई भी निदेशक या कर्मचारी अपनी शिकायत सीधे cvo@ilkota.in पर भेज सकता है। सीवीओ उसके निवारण हेतु उचित कदम उठायेगा।

सतर्कता गतिविधियाँ

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग ने प्रबन्धन के एक प्रभावी भाग की तरह कार्य किया है तथा निवारक सतर्कता पर अधिक जोर दिया गया है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत किये गये ऋण, गारण्टी या निवेश का विवरण

सम्बन्धित वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत कोई भी ऋण नहीं दिया है, कोई गारण्टी नहीं दी है या ना ही कोई निवेश किया है। सीवीसी के समस्त दिशा-निर्देशों की पालना की गई है।

सम्बन्धित पक्षकारों से किये गये अनुबन्ध या व्यवस्था का विवरण

जैसा कि कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) सहपठित नियम जोकि चैप्टर ग् में वर्णित किये गये हैं गये हैं जोकि मण्डल की मीटिंग तथा इसकी शक्तियों तथा जो समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, से सम्बन्धित हैं, के अनुसार कम्पनी ने सम्बन्धित पक्षकारों से कोई भी अनुबन्ध या व्यवस्था नहीं की है।

नियामकों के द्वारा पारित किये गये महत्वपूर्ण तथा आवश्यक आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नियामकों, न्यायालयों या अधिकरणों के द्वारा ऐसा कोई भी

महत्वपूर्ण या आवश्यक आदेश पारित नहीं किया जोकि कम्पनी के निरन्तरता दर्जे पर प्रभाव डालते हों।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली एवम् उसकी पर्याप्तता

कम्पनी में सभी वित्तीय तथा संचालन कार्यों हेतु उपर्युक्त तथा पर्याप्त आन्तरिक प्रणाली तथा प्रलेखित प्रक्रिया की व्यवस्था है। प्रबन्धन के द्वारा सभी गम्भीर तथा महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे क्रय, सामग्री, भण्डारण, कार्य, वित्त तथा कार्मिक इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की संहिता, नियमावली तथा प्रक्रिया पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के रूप में जारी किये जाते हैं। समस्त परीक्षण तथा सन्तुलन और समस्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की सुनिश्चितता के लिए विभिन्न प्रभागों की नियमित और विस्तृत आन्तरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउन्टेड की फर्म द्वारा की जाती है। आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली कानून, विनियम, मानकों तथा आन्तरिक प्रक्रिया तथा प्रणाली की पालना सुनिश्चित करती है।

वार्षिक रिटर्न का उद्घरण

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कम्पनीज (मैनेजमेन्ट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), नियम, 2014 के अनुसार वार्षिक रिटर्न का उद्घरण अनुसंलग्नक-1 पर एम.जी.टी.-9 में दिया गया है।

यौन उत्पीड़न निवारक नीति

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार कम्पनी में यौन उत्पीड़न निवारक नीति है। आन्तरिक शिकायत कमिटी का गठन यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों के निवारण के लिए किया गया है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अन्तर्गत हैं।

वर्ष 2024-25 में यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित प्राप्त हुई शिकायतें तथा उनके निवारण का सारांश निम्न प्रकार है:-

- प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या : कोई नहीं
- निवारण की गई शिकायतों की संख्या : कोई नहीं

हिन्दी का प्रगतिशील उपयोग

कम्पनी के द्वारा अपने आधिकारिक कामकाज में हिन्दी के उपयोग पर निरन्तर प्रभाव डाला जाता है तथा आधिकारिक भाषा अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाये गये हैं। सम्प्रेषण में हिन्दी भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया था। गैर-हिन्दी भाषी क्षेत्रों के काफी कर्मचारी हिन्दी भाषा के प्रयोग में रुचि ले रहे हैं। वर्ष के दौरान कम्पनी को आधिकारिक भाषा पर बनी संसद की कमिटी के द्वारा निरीक्षण के दौरान आधिकारिक भाषा के उपयोग का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है।

विवरणों का प्रकटीकरण

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) सहपठित कम्पनीज (निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988, के अनुसार निम्न सूचना दी जाती है:—

(क) ऊर्जा का संरक्षण

कम्पनी ऊर्जा की अत्याधिक उपयोगकर्ता नहीं है। परन्तु फिर भी सरकारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के समस्त कार्य स्थलों पर ऊर्जा के उच्चतम संरक्षण की योजना की जाती है। पारम्परिक लैम्पों को एल.ई.डी. फिटिंग्स से तेजी से बदला जा रहा है।

(ख) तकनीकी अवशोषण — अनुसंधान एवम् विकास कार्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा 4 नए उत्पादों का डिजाइन व विकास किया गया है। सभी के लिए आदेश प्राप्त हुए थे। इसके अलावा कम्पनी ने 7 नए उत्पादों का विकास किया है:—

- सेलेनॉईड वॉल्व — डिजाइन पूर्ण कर लिया गया है — सैम्पल आदेश प्राप्त हुआ। एनपीसीआईएल से अनुमति प्राप्त की जा चुकी है।
- एफजीडी एप्लीकेशन के लिए बटरफ्लाई

वाल्क्स — डिजाइन पूर्ण है — आदेश प्राप्त हुए।

- एनएच3 इंजेक्शन वॉल्व — डिजाइन पूर्ण है — आदेश प्राप्त हुए।
- क्रायोजेनिक चेक वॉल्व — डिजाइन पूर्ण है — आदेश प्राप्त हुए।
- सोडियम अनुप्रयोग के लिए गेट वॉल्व — डिजाइन पूर्ण है — आदेश प्राप्त हुए।
- एनपीसीआईएल के लिए वेंचुरी मीटर — परीक्षाधीन उत्पादन।
- सेपरेटर को नीचे करने वाले वॉल्क्स — डिजाइन के प्रमाणीकरण के अन्तर्गत।

नियंत्रण वॉल्क्स के डिजाइन के लिए नवीनतम सॉफ्टवेयर के क्रय से डीएण्डई विभाग को और सशक्त किया जा रहा है ताकि प्रवाह विशेषताओं की सटीक मॉडलिंग का पूर्वानुमान लगाया जा सके ताकि लागत व समय की बचत हो। उपरोक्त उत्पादों का विकास उत्पाद पोर्टफोलियो में जोड़ा जायेगा तथा आगामी वर्षों में व्यापार बढ़ेगा।

(ग) विदेशी मुद्रा की आवक तथा जावक

वर्ष के दौरान कम्पनी ने ₹213.69 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की आय की (विगत वर्ष ₹238.70 लाख रुपये) जबकि विदेशी मुद्रा की जावक ₹271.96 लाख रुपये (विगत वर्ष 209.33 लाख रुपये) थी।

(घ) प्रदूषण नियंत्रण

कम्पनी के उत्पाद पर्यावरण अनुकूल हैं क्योंकि यह इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रकृति के हैं तथा प्रदूषण तथा पर्यावरण खतरे नगण्य हैं। कम्पनी के पास आईएसओ-14001 (2015) ईएमएस प्रमाण-पत्र है तथा मानकों के समस्त प्रावधान बनाये रखे गये हैं। कम्पनी ने अपना प्रदूषण लाईसेन्स बनाए रखा है।

(ङ) सुरक्षा

कम्पनी के क्रियाकलापों में कर्मचारियों, मशीन तथा पर्यावरण की सुरक्षा एक मार्गदर्शक कारक है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के

अनुसार कर्मचारियों का विवरण

सम्बन्धित वर्ष में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं है जो इस प्रावधान के अन्दर आता हो जिसे अधिनियम की धारा 197(12) सहपठित कम्पनीज (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा वेतन) नियम, 2014 के नियम 5(2) तथा 5(3) के अन्तर्गत पारिश्रमिक बताई गई सीमा ₹1,02,00,000/- प्रतिवर्ष या ₹8,50,000/- प्रतिमाह से ज्यादा मिल रहा हो, इसलिए, इस सूचना को शून्य समझा जावे।

दायित्व कथन

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) के तहत निदेशक मण्डल कथन करते हैं कि:-

- (क) वार्षिक लेखों के निष्पादन में लागू लेखा मानकों का आवश्यक तथ्यों से सम्बन्धित स्पष्टीकरण के साथ पालन किया गया है।
- (ख) निदेशकों के द्वारा उन लेखा नीतियों को अपनाया व दृढ़ता से लागू किया गया है कि उनके निर्णय व आंकलन पूर्णतः तार्किक एवम् सत्य हैं, इस वित्तीय वर्ष के अन्त में कम्पनी के क्रियाकलापों की एक सच्ची तथा साफ तस्वीर पेश करते हैं साथ इस काल के दौरान कम्पनी के लाभ और हानि की स्थिति भी।
- (ग) निदेशकों के द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों के रखरखाव में उचित व पर्याप्त ध्यान रखा गया है ताकि कम्पनी की सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाकर रोका जा सके।
- (घ) वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परम्परा के अनुसार तैयार किये गये हैं जिसमें राजस्व की पहचान की गई है और व्यय का लेखा-जोखा लेखांकन की उपार्जन प्रणाली पर किया गया है।
- (ङ) निदेशकों के द्वारा उचित प्रणाली की व्यवस्था की गई है ताकि लागू कानूनों की पालना

सुनिश्चित हो तथा उक्त प्रणाली पर्याप्त थी तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी।

निगमित प्रशासन

दीर्घ अवधि के कॉरपोरेट लक्ष्यों की प्राप्ति तथा हितधारकों के विश्वास को बनाये रखने के लिए इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड (आईएल) एक अच्छे निगमित प्रशासन में विश्वास रखती है। आईएल सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा जारी निगमित प्रशासन दिशा-निर्देशों की पालना करती आ रही है तथा एक पालना की रिपोर्ट भारतीय उद्योग मंत्रालय को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करती है।

निगमित प्रशासन की रिपोर्ट तथा प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट इस निदेशक रिपोर्ट में अनुसंलग्नक-III पर संलग्न हैं।

कोटा कॉम्प्लेक्स का समापन

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के निर्णय दिनांक 30/11/2016 तथा डीएचआई के निर्देश दिनांकित 08/12/2016 के अनुसार कोटा कॉम्प्लेक्स की समापन गतिविधियाँ सम्पूर्ण कर ली गई हैं।

(अ) इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की पलक्कड़ इकाई का केरल सरकार को हस्तान्तरण नहीं किया जा सका क्योंकि गठित उच्च स्तरीय समिति ने पलक्कड़ इकाई के स्वामित्व वाली भूमि जिसका क्षेत्रफल 566.30 एकड़ है के मूल्य पर विचार नहीं किया जिसे औद्योगिक उद्देश्यों हेतु सरकारी भूमि के आवंटन के नियम दिनांकित 30/03/1964 के अन्तर्गत इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को पुडुसेरी केरल में प्रिसिजन इन्स्ट्रुमेंटेशन परियोजना की स्थापना के लिए रजिस्ट्री पर सौंपा गया था जिसका इस हस्तान्तरण पर गहरा प्रभाव है। भूमि का मूल्यांकन पूर्ण नहीं हो सका क्योंकि केरल सरकार कम्पनी के स्वामित्व की भूमि के मुद्दे पर विचार करने की इच्छुक नहीं थी।

(ब) कम्पनी के पंजीकृत एवम् कॉरपोरेट कार्यालय को जयपुर (आरओसी जयपुर) से पलक्कड़

(आरओसी त्रिवन्दम) स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया को निदेशक मण्डल के द्वारा अनुमति दी गई है तथा जिसे शुरू कर दिया गया है।

- (स) भारत सरकार से प्राप्त ₹584.57 करोड़ की राशि में से ₹561.64 करोड़ रुपये की राशि को भविष्य निधि, वीआरएस/वीएसएस, बैंकिंग देनदारी, करों, असुरक्षित लेनदारों तथा निगरानी एवम् रख-रखाव व्यय के प्रति उपयोग में लिया गया है। ₹12.51 करोड़ रुपये की राशि भारत सरकार को लौटा दी गई है। ₹10.42 करोड़ रुपये की राशि कम्पनी के पास को कोटा कॉम्प्लेक्स से सम्बन्धित भविष्य में आने वाली जिम्मेदारी के निपटान के लिए रखा गया है।

लेखापरीक्षक

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक के द्वारा कम्पनी के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। इसी अनुसार नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक के द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई है।

सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांकित 04/07/2025 में कुछ योग्यताएं दी गई हैं। जोकि काफी लघु प्रकृति की हैं। उक्त योग्यताएं निदेशकों के जवाब सहित अनुसंलग्नक-IV पर दी गई हैं जोकि इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

लागत लेखापरीक्षक

कम्पनी का टर्नओवर 12820.94 लाख रुपये है। कम्पनीज (लागत रिकॉर्ड्स एवम् लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लागत लेखापरीक्षा की आवश्यकता टर्नओवर की सीमा गैर-नियमित क्षेत्र के लिए ₹10000 लाख रुपये का टर्नओवर समस्त उत्पाद एवम् सेवाओं के लिए तथा ₹35 करोड़ का टर्नओवर समस्त व्यक्तिगत उत्पाद एवम् सेवाओं, के आधार पर है। इसलिए वर्ष 2024-25 के लिए कम्पनी पर लागत

लेखापरीक्षा लागू होती है तथा कम्पनी लगातार लेखापरीक्षक के चयन की प्रक्रिया में हैं।

लेखापरीक्षकों के द्वारा धोखा-धड़ी की रिपोर्टिंग

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कम्पनी के द्वारा या कम्पनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा कोई भी धोखा-धड़ी नहीं देखी गई है ना सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा कम्पनी के मण्डल को रिपोर्ट की गई है।

नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक के द्वारा खातों की समीक्षा

भारतीय नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक के द्वारा कम्पनी के 31 मार्च, 2025 को खत्म हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(इ) के अन्तर्गत नियंत्रक एवम् महालेखा परीक्षक की टिप्पणी की प्रति अनुसंलग्नक-V है।

निदेशक मण्डल की मीटिंग की संख्या नियुक्ति

निदेशक मण्डल ने वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 के दौरान 4 बार मीटिंग की। मीटिंग की दिनांक कॉरपोरेट गर्वनेन्स की रिपोर्ट में अनुसंलग्नक-III पर दी गई हैं।

लेखापरीक्षक कमिटी

आईएल के द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा डीपीई के निर्देशानुसार एक लेखापरीक्षक कमिटी का गठन किया गया है। लेखापरीक्षक कमिटी वार्षिक वित्तीय विवरणों को मण्डल को अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबन्धन के साथ समीक्षा करती है। कमिटी कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया तथा इसके वित्तीय सूचना के खुलासे, को भी देखती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं। लेखापरीक्षक कमिटी के संदर्भ में निम्न शामिल है:-

लेखापरीक्षक कमिटी की संरचना

लेखापरीक्षक कमिटी का गठन दिनांक 31/03/2025 को निम्न प्रकार था:—

1. डॉ. श्रीमती आरएच लता, चेयरपर्सन, स्वतंत्र निदेशक,
2. श्री राजेश कुमार, एमएचआई सदस्य,
3. श्री मदन पाल सिंह, सदस्य,
4. आईएल के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक,

स्वतंत्र निदेशक के द्वारा कम्पनीज अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत घोषणा

वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों ने कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में वर्णित शर्तों की पालना स्वतंत्र निदेशक के पद पर बने रहने के लिए की है तथा उनसे आवश्यक घोषणा कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अन्तर्गत प्राप्त कर लिया गया है।

संसदीय कमिटी की सिफारिश के अनुसार अतिरिक्त सूचना

(रूपये लाख में)

		2024-25	2023-24
क.	विदेशी दौरे	—	—
ख.	जन सम्पर्क/व्यापारिक संवर्धन में हुए खर्च	—	—
ग.	मनोरंजन व्यय	—	—

अन्य

समीक्षाधीन वर्ष दौरान कम्पनी भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान के द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू प्रावधानों की पालना की है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कम्पनी ने अपनी कार्यशील पूँजी का प्रबन्ध प्राप्य देनदारों से किया है तथा अपनी क्रेडिट सीमा का उपयोग नहीं किया है इसलिए ब्याज लागत शून्य है। सभी एमएसएमई वेण्डर्स जोकि शुद्ध क्रय का 61 प्रतिशत है को समय

पर या समय से पूर्व भुगतान किया गया है। अन्य भी वेण्डर्स को भी क्रय आदेश में वर्णित नियम व शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया था। आईएल अपने देनदारों से त्वरित प्राप्ति तथा समय पर वेण्डर्स के भुगतान हेतु निरन्तर प्रयासरत रहेगी।

प्रशंसा

मण्डल भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय के सहयोग की सराहना करता है तथा अपना धन्यवाद व्यक्त करता है।

निदेशक कम्पनी मूल्यवान ग्राहकों के निरन्तर सहयोग तथा संरक्षण के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

मण्डल सार्वजनिक उद्यम विभाग, सांविधिक लेखापरीक्षक, शाखा लेखापरीक्षक, सरकारी लेखापरीक्षक तथा कम्पनी के बैंकर जोकि भारतीय स्टेट बैंक है, के सहयोग की सराहना करते हैं तथा निरन्तर सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

मण्डल राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा कम्पनी के समस्त स्तर पर इसके कर्मचारियों के द्वारा किये गये सहयोग की गहन प्रशंसा करता है।

इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल की ओर से

राजेश कुमार, निदेशक,
एमएचआई

प्रारूप संख्या एमजीटी 9
वार्षिक रिटर्न का उद्घरण
31/03/2025 को समाप्त हुए वर्ष
(कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कम्पनीज
(प्रबन्धन एवम् प्रशासन), नियम 2014 के अनुसार)

1. पंजीकरण एवम् अन्य विवरण

I.	निगम पहचान संख्या	U29299RJ1964GOI001174
II.	पंजीकरण की दिनांक	21/03/1964
III.	कम्पनी का नाम	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
IV.	कम्पनी की <u>श्रेणी/उप-श्रेणी</u>	सरकारी कम्पनी / अंशों तक सीमित
V.	पंजीकृत पता एवम् सम्पर्क विवरण	केयर ऑफ हिन्दुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर (राज.)-302022 टेलीफोन:- 0141-2771885, फैक्स: कोई नहीं
VI.	क्या कम्पनी सूचीबद्ध है	नहीं
VII.	पंजीयक एवम् हस्तान्तरण एजेन्ट, यदि कोई है तो उसका नाम, पता एवम् सम्पर्क विवरण	कोई नहीं

2. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

क्रं.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल टर्नओवर का प्रतिशत
1.	नियंत्रक वॉल्स	8481	100.00

3. होल्डिंग, अधीन एवम् सहयोगी कम्पनियों का विवरण

क्रं.सं.	कम्पनी का नाम व पता	सिन/जीएलएन	होल्डिंग, अधीन एवम् सहयोगी	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1	—	—	—	—	—

4. अंशधारण प्रतिमान (इक्विटी अंश पूंजी का विभाजन कुल इक्विटी की प्रतिशतता)

(1) श्रेणीवार अंशधारण

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में धारक अंशों की संख्या				वर्ष के समापन पर धारक अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान हुए बदलाव का प्रतिशत
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
क. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्तिगत/अ.हि.प.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ख) केन्द्र सरकार	नहीं	240453	240453	100	नहीं	240453	240453	100	नहीं
(ग) राज्य सरकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(घ) कम्पनीयों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ङ) बैंक/वि.सं.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(च) अन्य कोई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
उप-योग S S	नहीं	240453	240453	100	नहीं	240453	240453	100	नहीं
(2) विदेशी									
(क) एन.आर.आई व्यक्ति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ख) अन्य व्यक्ति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ग) कम्पनीयों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(घ) बैंक/वि.सं.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ङ) अन्य कोई	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
उप-योग S S	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
प्रमोटर की कुल अंशधारकता क ई	नहीं	240453	240453	100	नहीं	240453	240453	100	नहीं
ख. आमजन अंशधारकता									
(1) संस्थान									
(क) म्युचुअल फण्ड	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ख) बैंक/वि.सं.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ग) केन्द्र सरकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(घ) राज्य सरकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ङ) उद्यम पूंजी कोष	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(च) बीमा कम्पनीयों	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(छ) वि.सं.नि.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ज) विदेश उद्यम पूंजी कोष	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
उप-योग S S	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(2) गैर-संस्थानिक									
(क) कम्पनीयों									
(1) भारतीय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(2) विदेशी	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ख) व्यक्तिगत									
(1) ऐसे व्यक्तिगत अंशधारक जो 1 लाख रुपये तक की सांकेतिक अंश पूंजी के धारक हो	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(2) ऐसे व्यक्तिगत अंशधारक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(2) प्रमोटर्स की अंशधारकता

क्र.सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता			वर्ष के अन्त में अंशधारकता			वर्ष के दौरान हुए बदलाव का प्रतिशत
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में से गिरवी रखे गये अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशों में से गिरवी रखे गये अंशों का प्रतिशत	
1.	भारत के राष्ट्रपति तथा उनके द्वारा नामित व्यक्ति	240,453	100	नहीं	240,453	100	नहीं	नहीं

(3) प्रमोटर्स की अंशधारकता में बदलाव (यदि कोई बदलाव नहीं है तो विनिर्दिष्ट करें)

क्र.सं.	भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	240,453	100	240,453	100
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	240,453	100	240,453	100

क्र.सं.	श्री राजेश कुमार (केन्द्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति)	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	01	0.0	01	0.0
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	01	0.0	01	0.0

क्र.सं.	श्री मदन पाल सिंह (केन्द्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति)	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	01	0.0	01	0.0
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	01	0.0	01	0.0

(4) शीर्ष दस निवेशकों की अंशधारकता का प्रतिमान
(जीडीआर एवम् एडीआर के धारक, प्रमोटर्स, निदेशकों के अलावा)

क्र.सं.	प्रत्येक शीर्ष के 10 निवेशक	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में (या यदि पृथक् हो गये हैं तो पृथक् होने की दिनांक को)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(5) निदेशकों एवम् प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारकता

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवम् प्रबंधकीय कार्मिक	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

क्र.सं.	श्री बी. बालासुब्रमण्यम (केन्द्र सरकार के द्वारा नामित) चेयरमैन एवम् प्रबन्ध निदेशक	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	01	0.0	01	0.0
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	01	0.0	01	0.0

क्र.सं.	श्री राजेश कुमार (केन्द्र सरकार के द्वारा नामित) (निदेशक)	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	01	0.0	01	0.0
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	01	0.0	01	0.0

क्र.सं.	श्री मदन पाल सिंह (केन्द्र सरकार के द्वारा नामित) (निदेशक)	वर्ष के आरम्भ में अंशधारकता		वर्ष के दौरान संचित अंशधारकता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरम्भ में	01	0.0	01	0.0
2	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की अंशधारकता में दिनांकवार बढ़ाव/घटाव तथा बढ़ाव/घटाव का कारण (उदा . आवंटन/हस्तान्तरण/बोनस/स्वेट इक्विटी इत्यादि)	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं	कोई बदलाव नहीं
3	वर्ष के अन्त में	01	0.0	01	0.0

5. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता बकाया ब्याज/ब्याज जो भुगतान के लिए बकाया नहीं है				
	सुरक्षित ऋण जमा के अलावा	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
0	नहीं	5,631,783,099	नहीं	5,631,783,099
0 ब्याज बकाया पर भुगतान नहीं किया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
0 उपार्जित ब्याज पर बकाया नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कुल (0+0+0)	—	5,631,783,099	नहीं	5,631,783,099
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में हुआ बदलाव				
बढ़त	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
घटत	नहीं	467045675	467045675	467045675
शुद्ध बदलाव	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणग्रस्तता				
0	नहीं	5,164,737,424	नहीं	5,164,737,424
0 ब्याज बकाया पर भुगतान नहीं किया	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
0 उपार्जित ब्याज पर बकाया नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
कुल (0+0+0)	नहीं	5,164,737,424	नहीं	5,164,737,424

6. निदेशकों एवम् प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतनमान

अ. प्रबन्ध निदेशक, सम्पूर्णकालीन निदेशक और / या प्रबन्धक का वेतन:

(राशि)

क्र.सं.	वेतनमान का विवरण	निदेशक	कुल राशि
1.	सकल वेतन	—	—
(अ)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन		
(ब)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुलाभों का मूल्य		
(स)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन की जगह लाभ		
2.	शेयर्स का विकल्प		
3.	स्वेट इक्विटी		
4.	कमीशन लाभ व अन्य का प्रतिशत (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल (अ)	—	—
	अधिनियम के अनुसार सीमा	नहीं	नहीं

ब. अन्य निदेशकों का वेतन:

(राशि)

क्र.सं.	वेतन का विवरण	निदेशक का नाम	
1.	स्वतंत्र निदेशक	डॉ. श्रीमती आरएच लता	
	(अ) मण्डल समिती मीटिंग्स में भाग लेने का शुल्क	80,000	
	(ब) कमीशन लाभ व अन्य का प्रतिशत (विनिर्दिष्ट करें)		
	(स) अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
	कुल (1)	80,000	
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक	श्री राजेश कुमार	श्री मदन पाल सिंह
	(अ) मण्डल समिती मीटिंग्स में भाग लेने का शुल्क		
	(ब) कमीशन लाभ व अन्य का प्रतिशत (विनिर्दिष्ट करें)		
	(स) अन्य, विनिर्दिष्ट करें		
	कुल (2)		
	कुल (बी) ई (1+2)	—	
	कुल प्रबंधकीय वेतन	—	
	अधिनियम के अनुसार कुल सीमा	नहीं	नहीं

स. प्रबन्धक निदेशक / प्रबंधक / सम्पूर्णकालीन निदेशक के अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का वेतन:

(राशि रूपयों में)

क्र.सं.	वेतन का विवरण	
1.	सकल वेतन	
(अ)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार वेतन	नहीं
(ब)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	नहीं
(स)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन की जगह लाभ	नहीं
2.	शेयर्स का विकल्प	नहीं
3.	स्वेट इक्विटी	नहीं
4.	कमीशन लाभ व अन्य का प्रतिशत (विनिर्दिष्ट करें)	नहीं
5.	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	नहीं
	कुल	नहीं

7. जुर्माना / दण्ड / अपराधों का शमन

प्रकार	कम्पनीज अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	लगाई गई शमन की फीस / दण्ड / जुर्माने का विवरण	अधिकारिता (आरडी / एनसीएलटी / कोर्ट)	यदि कोई अपील की गई हो (विवरण दें)
अ. कम्पनी					
जुर्माना					
दण्ड					
शमन					
ब. निदेशक					
जुर्माना					
दण्ड					
शमन					
ब. अन्य अधिकारी जिनकी गलती हो					
जुर्माना					
दण्ड					
शमन					

निगमित प्रशासन पर एक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के लिए (सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार)

आईएल ने कॉर्पोरेट प्रशासन का एक सुदृढ़ ढाँचा स्थापित किया है) जो शासन की गुणवत्ता) प्रकटीकरण में पारदर्शिता और हितधारकों के मूल्य संवर्धन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन स्वैच्छिक प्रथाओं और कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन का एक संयोजन है) जो कंपनी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। कंपनी का यह दृढ़ विश्वास है कि अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन यह सुनिश्चित करता है कि कॉर्पोरेट कार्य सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करें और जवाबदेही) पारदर्शिता और निष्पक्षता के मानदंडों को पूरा करें। कंपनी का मानना है कि उसके सभी संचालन और कार्य समग्र हितधारक मूल्य को बढ़ाने की दिशा में होने चाहिए। कंपनी इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों) शक्तियों और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी।

कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन नीति के मूल में प्रबंधन और बोर्ड के प्रभावी कामकाज में पारदर्शिता और खुलेपन की विचारधारा है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए ज़रूरी सिर्फ कॉर्पोरेट प्रशासन संहिता का मसौदा तैयार करना ही नहीं) बल्कि उसका पालन करना भी ज़रूरी है।

सुदृढ़ शासन सिद्धांतों का पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ) आपकी कंपनी निम्नलिखित मूल सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है:

- बोर्ड के सदस्यों तक सूचना का सक्रिय प्रवाह
- प्रत्ययी कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन को सक्षम करने के लिए ढांचाय
- सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का

पालन करना

- बोर्ड, प्रबंधन और कर्मचारियों द्वारा नैतिक व्यावसायिक आचरण; और
- आंतरिक नियंत्रण के लिए मजबूत प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ

आपकी कंपनी का बोर्ड लगातार कंपनी के विज़न और मिशन के अनुरूप लक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करता है – नियंत्रण वाल्व, एक्चुएटर्स, बटरफ्लाई वाल्व, पावर सिलेंडर और बेलो सील्ड वाल्व में अग्रणी बनना और ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करके और उन्हें पूरा करके, उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में परिवर्तित करके, विश्वसनीय बिक्री के बाद सेवा प्रदान करके और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का विकास/विपणन करके गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार के लिए काम करके पूर्ण ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध होना।

बोर्ड और समितियाँ:

अ) निदेशक मण्डल:

31 मार्च, 2025 तक, निदेशक मंडल में चार निदेशक होंगे। 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठकें दिनांक 07.09.2024, 27.09.2024, 08.11.2024 और 24.03.2025 को आयोजित की गईं।

31.03.2025 तक बोर्ड की संरचना का विवरण, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड, साथ ही अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक पदों, समिति अध्यक्ष पदों और सदस्यता की संख्या नीचे दी गई है:-

निदेशका नाम	श्रेणी	मीटिंगों की संख्या	निदेशक के द्वारा भाग ली गई मीटिंगों की संख्या	पूर्व में दिनांक 04.10.2024 को हुई वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशकता की संख्या	अन्य मण्डल कमिटीयों की सदस्यता की संख्या	अन्य ऐसी कमिटीयों की संख्या जिसमें निदेशक चेयरपर्स हो
श्री थंगावेलु रवि	चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त चार्ज) दिनांक 25.03.2023 से	1	1	उपस्थित	1	नहीं	सीएसआर कमिटी
श्री पंकज कुमार वशिष्ठ	चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त चार्ज) दिनांक 25.09.2024 से	2	2	उपस्थित	0	नहीं	सीएसआर कमिटी
श्री राजेश कुमार	निदेशक (सरकार द्वारा नामित) दिनांक 03.09.2020 से	4	4	उपस्थित	0	नहीं	नहीं
श्री मदन पाल सिंह	निदेशक (सरकार द्वारा नामित) दिनांक 09.11.2020 से	4	4	उपस्थित	1	नहीं	नहीं
डॉ. श्रीमती आरएच लता	दिनांक 28.03. 2025 से स्वतंत्र निदेशक	2	2	उपस्थित	1	नहीं	लेखापरीक्षक कमिटी

ब) मण्डल प्रक्रिया:

कंपनी के तिमाही व्यावसायिक और वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बोर्ड की आम तौर पर तिमाही में एक बार बैठक होती है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। यह बैठकें काफी पहले से निर्धारित की जाती हैं और प्रत्येक बोर्ड बैठक की सूचना प्रत्येक निदेशक को लिखित में दी जाती है। एजेंडे के सभी मदों के साथ संबंधित विषय पर व्यापक जानकारी देने वाले नोट्स भी होते हैं और कुछ मामलों जैसे वित्तीय/व्यावसायिक योजनाओं, वित्तीय परिणामों आदि को बैठक में प्रस्तुत किया जाता है।

एजेंडा और संबंधित नोट्स प्रत्येक निदेशक को अलग-अलग अग्रिम रूप से भेजे जाते हैं और केवल असाधारण मामलों में ही इन्हें बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त भी सभी निदेशकों को अग्रिम रूप से प्रसारित किए जाते हैं और अगली बैठक में उनकी पुष्टि की जाती है। बोर्ड प्रत्येक तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन की उनके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर समीक्षा करता है और प्रमुख रणनीतिक निर्णयों और नीति निर्माण में सहायता करता है। बोर्ड के सदस्यों को कंपनी की सभी सूचनाओं तक पहुँच होती है और वे अध्यक्ष के परामर्श से चर्चा के लिए एजेंडे में किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

स) मण्डल की जिम्मेदारियाँ:

निदेशक मंडल कंपनी के समग्र कामकाज की देखरेख करता है। बोर्ड कंपनी की रणनीतिक दिशा, प्रबंधन नीतियों

और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की पूर्ति हो रही है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

कॉरपोरेट अवलोकन:

कंपनी, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (IL), जिसका पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय जयपुर, राजस्थान में है, की स्थापना 1964 में कोटा (राजस्थान) में एक विनिर्माण इकाई के साथ एक पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली ब्रैम् के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बिजली, इस्पात, तेल, रिफाइनरी आदि की बढ़ती नियंत्रण और इंस्ट्रूमेंटेशन (C & I) आवश्यकताओं को पूरा करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।

प्रवाह नियंत्रण और मापन तत्वों जैसे नियंत्रण वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, पावर सिलेंडर/एक्चुएटर्स, ऑरिफिस प्लेट, फ्लो नोजल आदि में आत्मनिर्भरता के लिए 1974 में पलक्कड़, केरल में एक अन्य विनिर्माण इकाई स्थापित की गई थी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर, कोटा परिसर (जिसमें कोटा इकाई, विपणन इकाई, पी-डीडीसी इकाई और मुख्यालय शामिल हैं) को 18.04.2017 को बंद कर दिया गया।

पलक्कड़ स्थित कारखाना, जो आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएस 45001:2018 प्रमाणन से मान्यता प्राप्त है, पूरी तरह से चालू है।

मिशन, विजन और मूल्य

- मिशन: प्रक्रिया उद्योग की प्रवाह आवश्यकताओं के लिए सरल, उत्तरदायी और नवीन समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध।
- विजन: प्रक्रिया नियंत्रण वाल्व के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना और भारत और विदेश में प्रक्रिया उद्योग का पसंदीदा नियंत्रण वाल्व निर्माता बनना।
- मूल्य: गुणवत्ता, सेवा, पारदर्शिता, नैतिकता, विनम्रता और स्थिरता।



अनुसंलग्नक—III

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024–25 के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाएगी

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा (संलग्नक—ए के रूप में संलग्नक है)
2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद/निदेशकता का प्रकार	वर्ष के दौरान हुई सीएसआर कमिटी की बैठक की संख्या	वर्ष के दौरान हुई सीएसआर कमिटी की बैठक में भाग ली बैठकों की संख्या
1.	श्री पीके वशिष्ठ	चेयरमैन तथा प्रबन्धक निदेशक (अतिरिक्त चार्ज)	1	1
2.	श्री राजेश कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक, (निदेशक, एमएचआई)	1	1
3.	श्री मदन पाल सिंह	सरकार द्वारा नामित निदेशक, (संयुक्त निदेशक, एमएचआई)	1	1

3. वेब-लैंक प्रदान करें जहाँ सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ कंपनी की वेबसाइट (वेबसाइट www.ilpgt.com) पर प्रकट की गई हों।
4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें – लागू नहीं
5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्षों में सेट-ऑफ उपलब्ध राशि (रूपयों में)	वित्तीय वर्ष हेतु सेट-ऑफ होने वाली राशि, यदि कोई हो (रूपयों में)
1			
2			
3			
	योग		

6.

(क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	1171.72
(ख)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	23.43
(ग)	विगत वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।	0
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो	0
(ङ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (ख+ग-घ)	23.43

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि: शून्य

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रूपये लाखों में)	खर्च ना की गई राशि (रूपये लाखों में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची IJH अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में हस्तांतरित राशि		
	राशि	हस्तान्तरण की दिनांक	निधि का नाम	राशि	हस्तान्तरण की दिनांक
15.14	24.15	28.07.2025	नहीं	नहीं	नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्र.सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची IJH में क्रियाकलापों की सूची से आइटम	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना की अवधि	(7) परियोजना के आवंटित की गई राशि (रूपयों में)	(8) इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपयों में)	(9) परियोजना के लिए अत्यधिक सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि 135(6) के अनुसार (रूपयों में)	(10) क्रियान्वयन का जरिया – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	(11) क्रियान्वयन का जरिया – जरिये क्रियान्वयन एजेन्सी	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.												
2.	2024-25 में पिछले वर्षों की कोई भी चालू परियोजना जारी नहीं है											
3.												
	कुल											

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1) क्र.सं.	(2) परियोजना का नाम	(3) अधिनियम की अनुसूची IJH में क्रियाकलापों की सूची से आइटम	(4) स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	(5) परियोजना का स्थान		(6) परियोजना के लिए खर्च की गई राशि	(7) क्रियान्वयन का जरिया – प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	(8) क्रियान्वयन का जरिया – जरिये क्रियान्वयन एजेन्सी	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1.	शान्तिदी	शिक्षा में कौशल का विकास	हाँ	केरल	पलक्कड	6.74	हाँ	नहीं	नहीं
2.	अभ्युत्थान सामाजिक संघ	मूख, गरीबी तथा कुपोषण	हाँ	केरल	कोट्टयम	1.30	हाँ	नहीं	नहीं
3.	दया चैरिटेबल ट्रस्ट	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ और झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र विकास	हाँ	केरल	पलक्कड	7.10	हाँ	नहीं	नहीं
	कुल								

(घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : नहीं

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो : नहीं

(च) वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : 15.14 लाख

(छ) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो : 24.15 लाख रुपये

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाखों में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	15.57
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	15.14
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की अतिरिक्त राशि (ii – i)	नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	23.72
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि (iii – iv)	24.15

9. (अ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त सीएसआर राशि का विवरण:

ब	विगत वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रूपयों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रूपयों में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची I के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			शेष राशि जो अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जानी है (रूपयों में)
				निधि का नाम	राशि (रूपयों में)	हस्तान्तरण की दिनांक	
	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
1	2023–24	0.00	19.51	नहीं	नहीं	नहीं	22.65
2	2022–23	19.00	3.47	नहीं	नहीं	नहीं	41.16
3	2021–22	22.16	0.00	नहीं	नहीं	नहीं	22.16

(ब) पिछले वित्तीय वर्षों की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरम्भ किया गया	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित की गई कुल राशि (रूपयों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रूपयों में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अन्त में खर्च की गई संचित राशि (रूपयों में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण/प्रक्रियाधीन
	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित परिसंपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें – नहीं
- यदि हाँ, तो निर्मित / अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें – नहीं
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित ऐसी परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि : नहीं
- (सम्पत्ति वार विवरण):

क्र.सं.	सम्पत्ति का लघु विवरण	सम्पत्ति का पिनकोड	बनने की दिनांक	खर्च की गई सीएसआर की राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था / प्राधिकरण / लाभार्थी का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएँ – नहीं
- सिद्ध एवं पारदर्शी पात्र परियोजनाओं का अभाव

हस्ताक्षर (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबन्ध निदेशक या निदेशक)	हस्ताक्षर (चेयरमैन सीएसआर कमिटी)	हस्ताक्षर (अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति) (जहाँ भी लागू हो)
--	-------------------------------------	--

अनुसंलग्न-IV

कंपनी के वर्ष 2024-25 के खातों पर 29.08.2025 की अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों के जवाब :-

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर:

1. क्रम संख्या I, III, IV तथा VI से VIII पर अवलोकन:

रिपोर्ट के सांविधिक लेखापरीक्षकों के अवलोकन संख्या I, III, IV और VI से VIII के संबंध में, नोट संख्या 12.2, 32.8, 32.6, 19.4, 9.1 और 32.2, जो क्रमशः खातों का हिस्सा हैं, स्वतः स्पष्ट हैं।

2. क्रम संख्या II पर अवलोकन:

बिंदु संख्या II पर अवलोकन कंपनी के विरुद्ध विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष पूर्व कर्मचारियों और श्रमिक संघों के लंबित मामलों से संबंधित आकस्मिक देयता का पता नहीं लगाया जा सका है।

3. क्रम संख्या V पर अवलोकन:

बिंदु संख्या V पर अवलोकन, खातों, दावों और अन्य वसूली योग्य राशियों के नोटों की नोट संख्या 22 को संदर्भित करता है, जिसमें पूर्व कर्मचारियों को दिए गए गैर-वसूली योग्य अग्रिमों से संबंधित राशि भी शामिल है। लेखापरीक्षा अवलोकन को 2025-26 में अनुपालन हेतु नोट किया गया है।

4. क्रम संख्या IX पर अवलोकन:

2025-26 में अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा अवलोकन नोट किया गया है।

पीके वशिष्ठ
कार्यकारी निदेशक

ANNEXURE-V

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/वार्षिक खाता/
आईएन (2024-25)/2025-26/260-26
दिनांक: 16 SEP 2025

सेवा में,

निदेशक
इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड,
G-229, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र,
जयपुर - 302 022

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अंग्रेषित है।

भवदीय,

पवन
16/9/25
(डॉ पवन कुमार कौंडा)
ओ एस डी
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के दिनांक 31/03/2025 को समाप्त हुए वर्ष पर बने वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक की कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा वर्णन किया गया है कि यह कार्य उन्होंने 29 अगस्त 2025 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया है, जो उनकी 04 जुलाई 2025 की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं:

अ. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

अ.1 तुलन-पत्र

अ.1.1 वर्तमान देनदारियाँ

अन्य वर्तमान देनदारियाँ (नोट संख्या 10): 52,985.83 लाख रुपये

उपरोक्त में इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड द्वारा कैपिटल पॉवर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नोएडा (सीपीआईएल) को देय ₹91.11 लाख रुपये की राशि शामिल है। हालांकि, यह देखा गया कि कंपनी और सीपीआईएल के बीच आयोजित बैठक (दिसंबर, 2018) के कार्यवृत्त के अनुसार, ₹91.11 लाख रुपये की राशि सीपीआईएल को देय हो जाएगी जब यह उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) से प्राप्त होगी, जिसके लिए सीपीआईएल द्वारा एक वचनबद्धता भी प्रदान की गई थी। इसके अलावा, कंपनी ने यूपीपीटीसीएल से कोई भी संबंधित प्राप्य राशि दर्ज नहीं की है। इसलिए, कंपनी को देयता को स्वीकार नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसका भुगतान यूपीपीटीसीएल से राशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों को ₹91.11 लाख रुपये प्रति देनदारी अधिक तथा लाभ को 91.11 लाख रुपये कम दर्शाया गया है।

ब. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

ब.1 तुलन-पत्र

ब.1.1 सम्पत्तियाँ

वर्तमान सम्पत्तियाँ

नगद एवम् नगद के बराबर (नोट संख्या 20): ₹6,826.65 लाख रुपये

अन्य बैंक राशि: 12 माह से ज्यादा की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि: 3,275.58 लाख रुपये

डिवीजन 1 पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 8.8.4 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है — भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी गैर-भारतीय लेखा मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि बैंक शेष के गैर-वर्तमान भाग को "अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियाँ" शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। तथापि, यह पाया गया कि 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि से संबंधित ₹3275.58 लाख रुपये की राशि को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के बजाय चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को कम दर्शाया गया है और वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹3275.58 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है।

भारतीय नियंत्रक एवम् महालेखापरीक्षक

(डॉ. पवन कुमार कोण्डा)

ओएसडी

(औद्योगिक एवम् कॉरपोरेट अफेयर्स)

नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16 सितम्बर, 2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण, इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट

यह संशोधित रिपोर्ट कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत किए गए ऑडिट के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर हमारी दिनांक 04.07.2025 की रिपोर्ट को दबाते हुए जारी की जा रही है।

योग्य सलाह:

हमने इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट, और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जिसमें उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए पलकड़ शाखा का वित्तीय विवरण और उस पर रिपोर्ट भी शामिल है, जिसे पलकड़ स्थित कंपनी की शाखा के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार में वर्णित मामले के प्रभावों के लिए, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और इस आशय से भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को

समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य सलाह के आधार:

- I. 3.32 लाख रुपये के भवन के स्वामित्व विलेख के निष्पादन न होने के संबंध में खातों पर नोटों की नोट संख्या 12.2 देखें।
- II. नोट संख्या 32 देखें, कंपनी के विरुद्ध विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष पूर्व कर्मचारियों और श्रमिक संघों द्वारा कुछ मामले लंबित हैं। ऐसे मामलों में देयता का परिमाणन नहीं किया गया और उसे आकस्मिक देयता के रूप में मान्यता नहीं दी गई। उचित जानकारी के अभाव में, हम बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार आकस्मिक देयताओं की सटीकता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- III. कंपनी ने 23.04.2025 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर अर्जित अवकाश के संबंध में दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए एक प्रावधान को मान्यता दी है। हालाँकि, कंपनी ने लेखांकन मानक 15 – "कर्मचारी लाभ" के तहत आवश्यक अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए कोई प्रावधान निर्धारित या मान्यता नहीं दी है। बीमांकिक मूल्यांकन या अनुमान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर ऐसे अस्वीकृत दायित्वों के संभावित वित्तीय प्रभाव का निर्धारण करने में असमर्थ हैं।
- IV. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में वित्तीय विवरणों पर नोट्स के नोट क्रमांक 32.6 को देखें, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर के लिए ₹38.22 लाख रुपये का प्रावधान किया है और

सीएसआर गतिविधियों के संबंध में ₹15.14 लाख रुपये खर्च किए हैं। कंपनी के पास 31.03.2025 तक कुल ₹24.15 लाख रुपये की अव्ययित राशि (पिछले वर्षों की ₹8.50 लाख रुपये की अव्ययित राशि सहित) थी, जिसे अधिनियम की धारा 135(6) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट अधिसूचित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। हालांकि, कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अव्ययित राशि को अधिसूचित निधि में स्थानांतरित नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन नहीं है।

V. लेखा, दावों और अन्य वसूली योग्य राशियों के नोट 22 का संदर्भ लें, जिसमें पूर्व कर्मचारी को दिए गए ₹29.89 लाख रुपये के अग्रिम शामिल हैं, जिनके खाते पूरी तरह से निपटाए जा चुके हैं; और बकाया राशि वसूली योग्य नहीं है। इसलिए, चालू संपत्ति ₹29.89 लाख रुपये अधिक दर्शाई गई है और लाभ-हानि ₹29.89 लाख रुपये अधिक दर्शाई गई है।

VI. संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 19 (पअ) का संदर्भ लें, जिसमें 'व्यापार प्राप्य' और 'ऋण और अग्रिम' शीर्षक के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च, 2025 तक पुष्टि के अधीन है। ऐसी पुष्टि/ऐसी शेष राशि के समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

VII. 'व्यापार देय' शीर्षक के अंतर्गत शेष राशि 31 मार्च, 2025 तक पुष्टि के अधीन है। ऐसी पुष्टि/ऐसी शेष राशि के समाधान के अभाव में, हम वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में

टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

VIII. वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32.2 का संदर्भ लें, कंपनी ने कंपनी (लेखा मानक) नियमों के तहत निर्धारित लेखांकन मानक 17 – खंड रिपोर्टिंग के अनुसार खंड जानकारी का खुलासा नहीं किया है। हमारी राय में, यह निर्धारित लेखांकन मानकों से विचलन दर्शाता है।

IX. कंपनी ने सुश्री पुष्पलता बनाम रामप्यारी दीवानी दावा के मामले में ऊपरी जिला सत्र न्यायालय, कोटा में लंबित कानूनी मामले के तहत 6.40 लाख रुपये की सावधि जमा की थी और इस मामले में कुल देयता को बट्टे खाते में डाल दिया था, लेकिन, चूंकि सावधि जमा माननीय न्यायालय के समक्ष गिरवी रखी गई है, इसलिए यह राशि कंपनी की सावधि जमा के तहत दिखाई देनी चाहिए थी और इसे बट्टे खाते में नहीं डाला जाना चाहिए था। हालांकि, कंपनी ने माननीय न्यायालय से कोई अंतिम निर्णय प्राप्त किए बिना, को मामले की बकाया देनदारी के विरुद्ध सुरक्षा जमा राशि का गलत तरीके से निपटान कर दिया। इसके अलावा, कंपनी ने संबंधित अवधियों के लिए उपरोक्त सावधि जमा पर संबंधित ब्याज आय को भी ध्यान में नहीं रखा। अन्ततः, चूंकि मामले पर अभी तक अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए यह अभी भी आकस्मिक प्रकृति का है, और इसलिए, इसे कंपनी की आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसलिए, अन्य बैंक बैलेंस ₹9.39 लाख रुपये कम दिखाया गया है, अन्य चालू देनदारी ₹6.40 लाख रुपये कम दिखाई गई है और पूर्व अवधि की आय और चालू ब्याज आय ₹2.99 लाख रुपये कम दिखाई गई है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का विवरण हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में दिया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर:

- I. नोट संख्या 14 और 32.7 देखें, कंपनी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिनांक 09.09.2024 के प्रस्ताव के अनुसार, पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य खाते की बकाया राशि का 1/5 भाग, 132 लाख रुपये, लाभ-हानि खाते में जमा कर दिया है। पूर्व कर्मचारियों से वसूली योग्य शेष राशि ₹526 लाख रुपये है।
- II. वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के नोट क्रमांक 1 के संदर्भ में, जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 08.12.2016 के माध्यम से 30.11.2016 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोटा इकाई (कॉर्पोरेट मुख्यालय, कोटा इकाई, पी-डीडीसी इकाई और विपणन इकाई अर्थात् कोटा कॉम्प्लेक्स शामिल है) को बंद करने के

निर्णय की सूचना दी और डीपीई दिशानिर्देश दिनांक 07.09.2016 के अनुसार समयबद्ध तरीके से इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलकड़ इकाई को केरल सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी और तदनुसार 16.12.2016 को आयोजित बोर्ड बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने भी बंद करने के लिए प्रस्ताव पारित किए। तदनुसार, वित्तीय विवरण 'निरन्तर निगमित' अवधारणा के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- III. इन्वेंटरी में धीमी/अचल, अप्रचलित, क्षतिग्रस्त और अनुपयोगी वस्तुएँ शामिल हैं। जैसा कि नोट संख्या 26.2 में दर्शाया गया है, कंपनी द्वारा अनुमानित आधार पर इन्वेंटरी अप्रचलन, अचल और धीमी गति से चलने के लिए ₹3.40 लाख रुपये की कटौती की गई है। हालाँकि, इसकी पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सका है और इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सटीक वित्तीय प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि

“इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है”।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो, हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों पर समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के दौरान विचार किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

क्र.सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	मामलों से निपटान हेतु लेखापरीक्षक का जवाब
1.	निरन्तर निगमित धारणा का आंकलन कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए हैं। इस मूल्यांकन में वर्तमान और अनुमानित वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल है। चालू वर्ष के लिए, कंपनी ने ₹12,820.94 लाख रुपये का कारोबार दर्ज किया है और उसके पास भविष्य की परियोजनाएँ हैं, जिन्हें प्रबंधन ने चालू व्यवसाय की धारणा के समर्थन में माना है। प्रबंधन द्वारा बताए गए किसी भी स्पष्ट तरलता संबंधी समस्या का अभाव इस दृष्टिकोण का और समर्थन करता है। इस आकलन में शामिल मान्यताओं और अनुमानों के महत्व को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है: • निरन्तर निगमित व्यवसाय की धारणा के प्रबंधन के आकलन का मूल्यांकन किया। • चालू वर्ष के टर्नओवर का सत्यापन किया और चल रही तथा भविष्य की परियोजनाओं के लिए सहायक दस्तावेजों की जांच की। • निकट भविष्य के लिए प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए नकदी प्रवाह पूर्वानुमानों की समीक्षा की गई। • कंपनी की वित्तीय दायित्वों को समय पर पूरा करने की क्षमता का आकलन किया गया। • ऐसी किसी अन्य घटना या स्थिति पर विचार किया गया हो जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती हो। • प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय आधार का उपयोग उचित था।
2.	पूर्व अवधि राशि सहित परिसमाप्त क्षति के लिए प्रावधान वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के लिए ₹214.47 लाख रुपये की राशि प्रदान की है, जिसमें पूर्व अवधियों से संबंधित 59.45 लाख रुपये शामिल हैं। यह प्रावधान प्रबंधन द्वारा संविदात्मक दायित्वों, परियोजना में देरी	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है: • परिसमाप्त क्षति प्रावधानों से संबंधित अनुबंधों और शर्तों की समीक्षा की गई। • परियोजना में देरी और संभावित देनदारियों के आकलन सहित प्रावधान के आधार और औचित्य पर प्रबंधन के साथ चर्चा की गई।

	और संबंधित जोखिमों के मूल्यांकन के आधार पर बनाया गया था। ऐसे प्रावधानों की मान्यता में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल होता है, जिसमें संविदात्मक शर्तों की व्याख्या, परियोजना समय-सीमा का आकलन, विलंब विश्लेषण और दावों के लागू होने की संभावना शामिल है। राशि की महत्ता, पूर्व अवधि की मदों की संलिप्तता, तथा अपेक्षित आकलन एवं निर्णय के स्तर को देखते हुए, इस मामले को हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया।	- जोखिम की पहचान और मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया। - ग्राहकों या परियोजना अधिकारियों के साथ सहायक दस्तावेजों और पत्राचार का मूल्यांकन किया। - लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व अवधि की राशि के उपचार और प्रकटीकरण की जांच की गई। - प्रावधान के संबंध में वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता की समीक्षा की गई। किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि पूर्व अवधियों से संबंधित राशि सहित परिसमाप्त क्षतियों के लिए प्रावधान उचित है और उचित रूप से हिसाब-किताब किया गया है तथा उसका खुलासा किया गया है।
3.	पूर्व अवधि से संबंधित व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान कंपनी ने वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों के लिए ₹526.06 लाख रुपये का प्रावधान किया है, जो पूरी तरह से पिछली अवधियों से संबंधित है। यह प्रावधान बकाया शेष राशि की वसूली के प्रबंधन के मूल्यांकन पर आधारित है। ऐसी प्राप्य राशियों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल होता है, विशेष रूप से इन शेष राशियों की ऐतिहासिक प्रकृति, संभावित विवादों और वसूली संबंधी अनिश्चितता के कारण। यह आकलन प्राप्य राशियों की आयु, ग्राहक की साख और उपलब्ध दस्तावेजों से भी प्रभावित होता है। राशि की महत्ता, उसकी पूर्व अवधि की प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तिपरक अनुमानों को देखते हुए, इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना गया।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है: - व्यापार प्राप्य और प्रावधान से संबंधित कंपनी की नीति और आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। - व्यापार प्राप्तियों की आयु का सत्यापन करना और पिछले वर्षों से संबंधित शेष राशि की पहचान करना। - प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार का आकलन, जिसमें ग्राहक-वार विश्लेषण, वसूली का इतिहास और ऋण जोखिम आकलन शामिल हैं। - आगामी प्राप्तियों की समीक्षा करना और प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों की जांच करना, जैसे कानूनी पत्राचार, नोटिस और ग्राहक संचार। - एस 4 और एस 29 के अनुसार प्रावधान की मान्यता और माप का मूल्यांकन।

		• किए गए प्रावधान की प्रकृति और मात्रा के संबंध में वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आकलन करना। निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा किया गया प्रावधान उचित है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है।
4.	असाधारण मदों के अंतर्गत वेतन संशोधन देयता की मान्यता असाधारण मदों के अंतर्गत वेतन संशोधन देयता की मान्यता।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है: • प्रबंधन द्वारा देयता के आकलन के आधार की समीक्षा की गई, जिसमें प्रासंगिक समझौते, बोर्ड/समिति अनुमोदन और लागू परिपत्र या अधिसूचनाएं शामिल हैं। • मूल्यांकन किया गया कि क्या वेतन संशोधन की मान्यता पिछली प्रथाओं के अनुरूप थी और एएस 29 के तहत दायित्व के समय के साथ संरेखित थी। • मान्यता प्राप्त राशि की गणना का मूल्यांकन किया और इसकी अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया। • आइटम को असाधारण के रूप में वर्गीकृत करने के औचित्य के बारे में प्रबंधन से पूछताछ की। • असाधारण मद और संबंधित प्रावधान के संबंध में वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की उपयुक्तता का आकलन किया गया। प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, हमने पाया कि वेतन संशोधन देयता की पहचान और प्रकटीकरण उचित और लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप है। निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा किया गया प्रावधान उचित है और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है।

5.

केरल सरकार द्वारा आवंटित भूमि का स्वामित्व और मूल्यांकन

दिनांक 01.12.2018 के असाइनमेंट आदेश और दिनांक 12.10.1976 के पट्टा संख्या 938 के अनुसार, केरल सरकार ने असाइनमेंट के नियमों के तहत, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा (पलक्कड़ इकाई) को पुडुसेरी, केरल में 566.30 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की। हालाँकि, स्थानांतरण के समय कोई औपचारिक पट्टा, हस्तांतरण विलेख या किराया खरीद समझौता निष्पादित नहीं किया गया था।

मूल आवंटन के बाद, 2009 तक केरल सरकार और अन्य संस्थानों को अप्रयुक्त भूमि की कई बहाली, आत्मसमर्पण और पुनः आवंटन हुए। तहसीलदार (भूमि अभिलेख) की 10.06.2019 की कार्यवाही के अनुसार, केवल 48.9320 हेक्टेयर (120.91 एकड़) भूमि वर्तमान में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के नाम पर "स्वामित्व वाली संपत्ति" के रूप में वर्गीकृत है, जबकि 88.7920 हेक्टेयर (219.40 एकड़) भूमि केंद्र सरकार — प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोजेक्ट के नाम पर दर्ज है और इसे "पोरम्बोक्कु" (सरकारी भूमि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल रूप से आवंटित भूमि का शेष भाग विवादग्रस्त है या अभी दर्ज किया जाना बाकी है। कंपनी ने 23.06.2021 को आरडीओ के समक्ष एक अपील दायर की है ताकि 566.30 एकड़ की पूरी भूमि को कंपनी का होने के रूप में संशोधित और पुष्टि की जा सके। इस कानूनी प्रक्रिया के परिणाम आने तक, कंपनी ने पूरी भूमि को 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर दर्ज करना जारी रखा है, यह देखते हुए कि भूमि निःशुल्क आवंटित की गई थी और इसका कोई व्यावसायिक लेनदेन मूल्य नहीं है।

इस मामले हेतु हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में निम्न शामिल है पर इन तक सीमित नहीं है:

- भूमि आवंटन के संबंध में मूल पट्टा दस्तावेजों, सरकारी आदेशों और आंतरिक पत्राचार की समीक्षा की।
- तहसीलदार (भूमि अभिलेख) से पत्राचार और आदेशों का सत्यापन किया, जिसमें भूमि को "स्वामित्व वाली संपत्ति" और "पोरम्बोक्कु" में वर्गीकृत करना शामिल है।
- आरडीओ के समक्ष दायर कंपनी की अपील की कानूनी स्थिति का आकलन किया गया, जिसमें स्थिति और अनुकूल परिणाम की संभावना पर प्रबंधन का प्रतिनिधित्व भी शामिल था।
- प्रबंधन के साथ भूमि को नाममात्र मूल्य पर मान्यता देने के आधार पर चर्चा की गई, जिसमें प्रतिफल की अनुपस्थिति और भूमि के कुछ हिस्सों के लिए अनिश्चित शीर्षक को ध्यान में रखा गया।
- एस 10 के प्रावधानों के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया, विशेष रूप से मान्यता मानदंड, माप आधार, और निःशुल्क भूमि और विवादित परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण के संबंध में।
- भूमि की प्रकृति, सीमा और स्थिति के बारे में वित्तीय विवरणों में किए गए खुलासों की समीक्षा की गई, जिसमें कानूनी कार्यवाही और लंबित पुष्टिकरणों के संदर्भ शामिल हैं।

		प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर हमने यह पाया कि:- • नाममात्र मूल्य पर भूमि की मान्यता ऐतिहासिक लेखांकन नीति के अनुरूप थी और एएस 10 के अनुरूप थी। • प्रबंधन ने स्वामित्व की स्थिति, लंबित कानूनी मामलों और भूमि के वर्गीकरण के बारे में पर्याप्त और पारदर्शी खुलासे किए थे। • स्वामित्व संबंधी मुद्दों के समाधान तक परिसंपत्ति को दर्ज करने के संबंध में कंपनी की स्थिति का वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं के समक्ष उचित रूप से खुलासा किया गया था।
--	--	--

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र वित्तीय विवरण, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, किसी भी प्रकार की भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, तथा एक लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया ऑडिट

हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं। हम:—

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलत बयान का पता न लगा पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले गलत बयान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि परिस्थितियों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(प) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालें कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण कंपनी एक चालू व्यवसाय के रूप में जारी नहीं रह सकती है।
- वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, और यह भी कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों पर संवाद करने की बात करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

अन्य मामले

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल पलकड़ शाखा के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया है, जो 31 मार्च 2025 तक 14483.77 लाख रुपये (P.Y. ₹13422.42 लाख रुपये) की कुल संपत्ति, ₹13068.39 लाख (P.Y. ₹9888.75 लाख रुपये) का कुल राजस्व और 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹886.81 लाख (P.Y. (412.11) लाख रुपये) का शुद्ध नकदी प्रवाह दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1272.93 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹227.91 लाख रुपये) का कर-पश्चात शुद्ध लाभ भी शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहाँ तक शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों का संबंध है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

पर आधारित है। इस मामले में हमारी राय में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम 'अनुलग्नक ए' में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत आवश्यक रूप से, हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर एक विवरण "अनुलग्नक बी" में देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:—
 - a. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - b. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग पर योग्य राय के आधार के ऊपर पैराग्राफ और नीचे पैराग्राफ (र)(अप) में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही रखी गई है, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा दौरा नहीं किए गए शाखाओं से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त हुए हैं।

- c. कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उनका समुचित ढंग से निपटान किया है।
- d. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत बैलेंस शीट, लाभ—हानि विवरण, तथा नकदी प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों तथा उन शाखाओं से प्राप्त रिटर्न के अनुरूप हैं, जहां हम नहीं गए हैं।
- e. हमारी राय में, योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए।
- f. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय लेनदेन या ऐसे मामलों पर हमारी कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं है, जिनका कंपनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो।
- g. एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- h. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संदर्भ संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- i. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया “अनुलग्नक सी” में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- j. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा किया है, सिवाय उपरोक्त योग्य राय के आधार पैराग्राफ में वर्णित मामले के प्रभावों के – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 32 देखें।
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भी भौतिक पूर्वानुमानित हानि हुई हो।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।
 - (a) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में प्रकट किए गए के अलावा, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (“मध्यस्थ”) शामिल हैं, कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी

अन्य स्रोत या प्रकार की धनराशि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई भी सुविधा प्रदान करेगा।

(b) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट्स में प्रकट किए गए विवरण के अलावा, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करेगी

(c) ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (प) और (पप) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v. वर्ष के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए

कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है। हालाँकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार (कंपनी के शेयरधारक) को लाभांश के रूप में ₹210 लाख रुपये का भुगतान किया है।

vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा पलकड़ इकाई और मुख्यालय में किए गए परीक्षण जांच के आधार पर, कंपनी ने ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं थी, इसलिए हम उक्त सॉफ्टवेयर की ऑडिट ट्रेल सुविधा पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

vii. इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी के पास ऑडिट ट्रेल सुविधा नहीं थी, इसलिए कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल को संरक्षित नहीं किया गया है।

एन.सिंघल एण्ड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य क्रमांक: 455046

यूडिन-25455046BMFXS41549
स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2025

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक—ए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट (हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अन्य कानूनी विनियामक आवश्यकताओं अनुभाग पर रिपोर्ट के तहत पैराग्राफ 1 में देखें) 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक ए के संदर्भ में हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:

1. सम्पत्ति, संयंत्र एवम् उपकरण के सम्बन्ध में

- a. (क) कंपनी ने सामान्यतः संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रखे हैं। इसके अतिरिक्त, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की स्थिति और पट्टे पर दी गई भूमि के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ विवरणों को भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण रजिस्टर में अद्यतन करने की आवश्यकता है।
(ख) कंपनी (पलक्कड़ इकाई) ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- b. जैसा कि हमें बताया गया है, प्रबंधन द्वारा सभी संपत्तियों, संयंत्रों और उपकरणों का चरणबद्ध तरीके से भौतिक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस भौतिक सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।
- c. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच और लीज डीड की फोटोकॉपी/डुप्लिकेट प्रति के आधार पर, भूमि के लीज डीड का हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है और वे

कंपनी के नाम पर हैं। जहाँ तक अन्य अचल संपत्तियों के टाइटल डीड/लीज डीड का सवाल है, हमने डीड की फोटोकॉपी से उनका सत्यापन किया है, क्योंकि मूल प्रतियां हमें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं, सिवाय ₹3.32 लाख रुपये मूल्य के भवन के टाइटल डीड के (नोट संख्या 12.2 देखें), जिसका अभी तक निष्पादन नहीं हुआ है, हालांकि स्टॉप शुल्क का भुगतान किया गया है और बॉम्बे में प्लैट्स का डीड सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है।

- d. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(प)(घ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- e. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

2. इन्वेन्टरी के सम्बन्ध में

- a. इसने हमें सूचित किया है कि प्रबंधन ने चरणबद्ध तरीके से इन्वेन्ट्री का भौतिक सत्यापन किया है और कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए प्रक्रिया और आवृत्ति उचित और पर्याप्त है।
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय सरकारी

गारंटी के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूँजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(पप)(ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

3. कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को कोई भी सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (पपप) (क) से (च) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

5. कंपनी ने कोई भी जमा या राशि स्वीकार नहीं की है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के अंतर्गत कवर की गई जमा राशि माना जाता है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(अ) लागू नहीं होता है।

6. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पलकड़ इकाई से संबंधित लागत अभिलेखों का कंपनी द्वारा की जा रही गतिविधियों के संबंध में उचित रखरखाव किया गया है। चूंकि कोटा परिसर में कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं होती है, इसलिए ऐसे कोई अभिलेख नहीं रखे जाते हैं।

7. वैधानिक बकाया के सम्बन्ध में

a. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य भौतिक वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में खाता पुस्तकों में कटौती / अर्जित राशि को कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उचित प्राधिकारियों

के पास नियमित रूप से जमा किया गया है।

b. माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी विवाद के कारण किसी भी अन्य वैधानिक देयताओं के संबंध में बकाया राशि अनुलग्नक ए1 में संलग्न है।

8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, खाता बहियों में आय के रूप में पहले दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।

9. a. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

c. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सावधि ऋण के माध्यम से प्राप्त धनराशि का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

d. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पावधि आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

- e. कंपनी 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है) में कोई निवेश नहीं रखती है। तदनुसार, खंड 3(ix)(e) लागू नहीं होता है।
- f. कंपनी 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी भी सहायक कंपनी, सहयोगी या संयुक्त उद्यम (जैसा कि अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है) में कोई निवेश नहीं रखती है। तदनुसार, खंड 3(ix)(f) लागू नहीं होता है।
10. a. किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने ऋण उपकरणों सहित आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धन नहीं जुटाया है।
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णतः, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ग)(इ) लागू नहीं होता।
11. a. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- b. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
- c. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
12. हमारी राय में, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii)(aa), 3(xii)(ba) और 3(xii)(ca) लागू नहीं होते।
13. हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेन-देन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- a. हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
- b. हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
15. किए गए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
16. a. हमारी राय में और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-IA के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(aa) लागू नहीं होता।
- b. हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई

गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(b) लागू नहीं होता है।

c. हमारी राय में और हमारी जाँच के आधार पर, कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(c) लागू नहीं होता।

d. प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के भाग के रूप में कोई सीआईसी नहीं है।

17. हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष और उसके ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।

18. वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।

19. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का कोई आश्वासन नहीं है। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियाँ कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दी जाएँगी।

20. a. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, "चल रही परियोजनाओं के अलावा" के संबंध में, कंपनी के पास 31.03.2025 तक कुल ₹24.15 लाख रुपये की अव्ययित राशि (पिछले वर्षों की ₹8.50 लाख रुपये की अव्ययित राशि सहित) है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अव्ययित राशि को अधिसूचित निधि में स्थानांतरित नहीं किया है।

b. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण के अनुसार, "चालू परियोजनाओं" के संबंध में, ऐसी कोई भी राशि अव्ययित नहीं है जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर किसी विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(b) के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

21. कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता है।

एन.सिंघल एण्ड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य क्रमांक: 455046

यूडिन-25455046BMFXS41549
स्थान: जयपुर
दिनांक: 29.08.2025

संलग्नक ए1 – विवादित वैधानिक बकाया राशि का विवरण

अवधि	भविष्य निधि से सम्बन्धित जिम्मेदारी	सेवा कर	कस्टम ड्यूटी	कुल	टिप्पणी
1992-93	—	—	1,459,824	1,459,824	कलेक्टर (ए) मुम्बई
1993-94	—	—	716,953	716,953	कलेक्टर (ए) मुम्बई
1994-95	—	—	12,770,590	12,770,590	कलेक्टर (ए) मुम्बई तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (ए) मुम्बई
2004-05	—	—	4,220,000	4,220,000	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (ए) मुम्बई
2003-04 से 2006-07	—	4,751,000	—	4,751,000	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में लम्बित
2006-07	—	7,643,892	—	7,643,892	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में लम्बित
2007-08	—	137,766	—	137,766	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर में लम्बित
2009-10	—	26,466,524	—	26,466,524	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली में लम्बित
2023-24	52,79,262	—	—	52,79,262	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 की धारा 14बी के तहत वेतन बकाया पर पीएफ के कारण क्षतिपूर्ति। यह मामला वित्त वर्ष 2023-24 में उठाया गया था, जिसके लिए अपील दायर की जानी बाकी है।
	52,79,262	38,999,182	19,167,367	63,455,811	

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक को सीएजी के निर्देशों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं" के पैराग्राफ 2 में संदर्भित, जो वर्ष 2024-2025 के लिए सरकारी कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर लागू है।

क्र.सं.	विवरण/निर्देश	लेखापरीक्षक का जवाब	की गई कार्रवाई और खातों एवं वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेन-देनों को आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देनों के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों (यदि कोई हों) का भी उल्लेख किया जाए।	कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित नहीं किया जाता है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बढ़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बढ़े खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं
3.	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उनकी शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त/प्राप्त होने योग्य नहीं थी।	वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं

एन.सिंघल एण्ड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार

सदस्य क्रमांक: 455046

यूडिन-25455046BMFXS41549

स्थान: जयपुर

दिनांक: 29.08.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "सी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में है, जिसमें पलकड़ स्थित कंपनी की शाखा के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किए गए उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के रिटर्न शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक कंपनी की नीतियों के पालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित, कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे थे।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना जाता है, जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर लागू होता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार यह आवश्यक है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना, तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के

जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) उन अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विवरण के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तिां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों पर अनुचित प्रबंधन अधिरोहण की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल

सकता। इसके अलावा, भविष्य की अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

परामर्श

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

कृते : एन.सिंघल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

सीए नरेश कुमार जैन

भागीदार

सदस्य क्रमांक: 455046

यूडिन-25455046BMFXS41549

स्थान: जयपुर

दिनांक: 29.08.2025

तुलन पत्र, दिनांक 31 मार्च, 2025

(रुपये लाखों में)

विवरण	नोट संख्या	दिनांक 31.03.2025 को	दिनांक 31.03.2024 को
समता अंश तथा दायित्व			
1. अंशधारियों का कोष			
(अ) अंश पूंजी	2	2,404.53	2,404.53
(ब) संचित एवं अधिशेष	3	(49,478.50)	(50,646.94)
(स) शेयर वारण्ट हेतु प्राप्त राशि		—	—
2. अंश आवेदन राशि आवंटन शेष	4	12,200.96	12,200.96
3. अ-चल दायित्व			
(अ) दीर्घावधि ऋण	5	—	—
(ब) विलम्बित कर दायित्व (शुद्ध)	6	—	—
(स) अन्य दीर्घावधि दायित्व	7	320.38	223.69
(द) अन्य दीर्घावधि प्रावधान		—	—
		320.38	223.69
4. चल दायित्व			
(अ) लघु अवधि ऋण	8	—	—
(ब) व्यापारिक अदायगी	9	—	—
(अ) सूक्ष्म एवम् लघु उद्योगों की कुल देयता तथा		488.85	483.02
(द) सूक्ष्म एवम् लघु उद्योगों के अलावा लेनदारों की		358.46	560.84
देयता		10.33	11.98
घटायें: डेबिट शेष		—	—
		836.98	1,031.88
(स) अन्य चल दायित्व	10	52,985.83	57,588.54
(द) व्यापारिक अदायगी	11	24.15	22.65
		53,846.96	58,643.07
योग		19,294.33	22,825.32
परिसम्पदाएँ			
(1) अचल परिसम्पदाएँ			
(अ) सम्पत्ति, संयंत्र एवम् उपकरण			
(0) 9	12	610.63	708.87
(0) 9	12	90.28	38.50
(0) 9	12	3.16	1.64
(0) 9		—	—
		704.07	749.01
(ब) अचल निवेश	13	—	—
(स) दीर्घावधि ऋण एवम् अग्रिम	14	680.10	812.98
(द) विलम्बित कर परिसम्पदाएँ (शुद्ध)	6	—	—
(ई) अन्य अचल परिसम्पदाएँ	15	42.24	41.01
		1,426.41	1,603.00
(2) चल परिसम्पदाएँ			
(क) चल निवेश	16	0.04	0.04
(ख) सामग्री	17	5,008.92	5,725.78
(ग) कार्य सिस्टम (साईट पर)	18	—	—
(घ) व्यापारिक प्राप्तियाँ	19	5,634.50	4,606.37
(ङ) नगद एवम् नगद समान	20	1,708.98	514.84
(च) नगद एवम् नगद समान के अतिरिक्त बैंक राशि	20	5,117.67	5,209.19
(छ) लघु अवधि ऋण एवम् अग्रिम	21	87.10	115.22
(ज) अन्य चल परिसम्पदाएँ	22	310.70	5,050.88
		17,867.92	21,222.32
योग		19,294.33	22,825.32

लेखा सम्बन्धी नीतियाँ एवम् 1 से 32 तक नोट इस वित्तीय विवरण का आंतरिक भाग हैं

एसीएस अंजली गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्य क्रं.: 49251

मदन पाल सिंह
निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 08414417

पीके वशिष्ठ
कार्यकारी निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 10828370

इस तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एन.सिंघल एण्ड कम्पनी कृते
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

स्थान: पलक्कड
दिनांक: 04 जुलाई, 2025
यूडिन: 25455046BMFXSB7368
दिनांक: 04.07.2025

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य क्रमांक: 455046

हानि एवम् लाभ का विवरण, दिनांक 31 मार्च, 2025

(रूपये लाखों में)

विवरण	नोट संख्या	2024-25	2023-24
आय			
संचालन से राजस्व	23	12,820.94	9,585.57
आंतरिक उपयोग हेतु किये गये कार्य	24	—	—
संचालन से कुल राजस्व		12,820.94	9,585.57
अन्य आय	25	558.87	593.23
कुल राजस्व		13,379.81	10,178.80
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	26	5,814.05	4,605.85
प्रगतिशील एवम् पूर्ण माल की इन्वेन्ट्री में आया बदलाव	27	8.25	(388.69)
कर्मचारी हितार्थ खर्च	28	2,620.29	2,734.71
सेवाओं एवम् उप-अनुबन्धों		1,150.21	866.02
वित्तीय लागत	29	—	—
अवक्षयण एवम् परिशोधन व्यय	30	100.83	124.71
अन्य खर्च	31	1,396.42	944.22
कुल खर्च		11,090.04	8,886.82
अपवाद एवम् असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ/(हानि)		2,289.77	1,291.98
अपवाद मदों की आय/(खर्च)	32.7	(911.34)	(590.98)
अपवाद एवम् असाधारण मदों तथा कर पूर्व लाभ/(हानि)		1,378.43	701.00
असाधारण मदों की आय/(खर्च)		—	—
लाभ/(हानि) कर पूर्व		1,378.43	701.00
निरन्तर संचालन पर कर खर्च		—	—
चल कर		—	—
विलम्बित कर		—	—
वर्ष की लाभ/(हानि)		1,378.43	701.00
निरन्तर संचालन से लाभ/(हानि)		1,272.93	227.91
निरन्तर संचालन पर कर खर्च		—	—
निरन्तर संचालन से लाभ/(हानि) (कर के पश्चात्)	32.4	1,272.93	227.91
समाप्त संचालन से लाभ/(हानि)		105.50	473.09
निरन्तर संचालन पर कर खर्च		—	—
समाप्त संचालन से लाभ/(हानि) (कर के पश्चात्)	32.4	105.50	473.09
वर्ष के (निरन्तर एवम् समाप्त संचालन) से लाभ/(हानि)		1,378.43	701.00
मूल एवम् मिश्रित प्रति अंश आय	32.9	573.26	291.52
(1000/- रु. प्रत्येक का अंकित मूल्य)		141.10	71.75
लेखा सम्बन्धी नीतियाँ एवम् 1 से 32 तक नोट इस वित्तीय विवरण का आंतरिक भाग हैं			

मण्डल की ओर से

एसीएस अंजली गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्य क्र.: 49251

मदन पाल सिंह
निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 08414417

पीके वशिष्ठ
कार्यकारी निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 10828370

इस तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एन.सिंघल एण्ड कम्पनी कृते
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

स्थान: पलक्कड
दिनांक: 04 जुलाई, 2025
यूडिन: 25455046BMFXSB7368
दिनांक: 04.07.2025

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य क्रमांक: 455046

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रूपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
अ. संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर और असाधारण मदों से पहले पूर्व लाभ/(हानि):-	1378.43	701.00
मूल्यहास और परिशोधन	100.83	124.71
अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	—	(1.63)
सन्देशात्मक ऋण के प्रावधान	—	—
प्रावधान — अन्य	—	—
ब्याज आय	(412.26)	(409.64)
लाभांश आय	—	—
ब्याज खर्च	—	—
कार्य पूंजी के बदलाव से पूर्व संचालित लाभ	1,067.00	414.45
निम्न के लिए समायोजन:-		
निवेश	—	—
व्यापारिक प्राप्तियाँ	(1,028.13)	359.73
इन्वेन्टी	716.86	(1,466.90)
ऋण एवम् अग्रिम तथा अन्य चल परिसम्पदाएँ	4,991.47	1,975.71
व्यापारिक देयताएँ, प्रावधान तथा अन्य दायित्व	(4,699.42)	(1,627.37)
कर एवम् असाधारण मदों से पूर्व संचालित गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध रोकड़	1,047.77	(344.38)
कर	—	—
असाधारण मदों से पूर्व संचालित गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध रोकड़ प्रवाह	1,047.77	(344.38)
असाधारण मद	—	—
असाधारण मदों के पश्चात् संचालित गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध रोकड़	1,047.77	(344.38)
ब. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अचल सम्पत्तियों का क्रय	(62.01)	(58.53)
अचल सम्पत्तियों का विक्रय	6.13	3.84
अचल सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ	—	1.63
निवेश	—	—
प्राप्त ब्याज	412.26	409.64
प्राप्त लाभांश	—	—
किराया एवम् अन्य प्राप्त राजस्व	—	—
निवेश गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध रोकड़	356.38	356.38
स. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह		
अंश आवेदन राशि	—	—
दीर्घावधि ऋण	—	—
ऋण	—	—
भारत सरकार को दिया गया लाभांश	(210.00)	(465.59)
अदा किया गया ब्याज	—	—
वित्तीय गतिविधियों से/(उपयोग में) शुद्ध रोकड़	(210.00)	(465.59)
द. नकद एवम् नकद समान में शुद्ध बढ़त (अ+ब+स)	1,194.14	(453.40)
नकद एवम् नकद समान वर्ष के आरम्भ में	514.84	968.24
नकद एवम् नकद समान वर्ष के अन्त में (नोट सं. 20 देखें)	1,708.98	514.84
नोट:		
1. वर्ष के अन्त में नकद एवम् नकद समान में निम्न शामिल है:-		
नकद	0.65	3.23
चैक	0.02	0.02
बैंकों में शेष	—	—
— चालू खातों	255.95	117.46
— जमा खातों में	1,452.36	394.13
कुल	1,708.98	514.84

- नकदी प्रवाह विवरण एएस-3 के अनुसार बनाया गया है।
- नकद एवम् नकद समान में नकद एवम् बैंक राशि तथा बैंक जमा शामिल है।

एसीएस अंजली गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्य क्रं.: 49251

मदन पाल सिंह
निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 08414417

पीके वशिष्ठ
कार्यकारी निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 10828370

इस तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एन.सिंघल एण्ड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

स्थान: पलक्कड
दिनांक: 04 जुलाई, 2025
यूडिन: 25455046BMFXSB7368
दिनांक: 04.07.2025

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य क्रमांक: 455046

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों पर नोट्स नोट संख्या 1: प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

लेखांकन सिद्धान्त

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 08.12.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि 30.11.2016 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कोटा इकाई (जिसमें कॉर्पोरेट मुख्यालय, कोटा इकाई, पी-डीडीसी इकाई और मार्केटिंग इकाई अर्थात् कोटा कॉम्प्लेक्स शामिल है) को बंद करने का निर्णय लिया गया और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की पलकड़ इकाई को केरल सरकार को समयबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन दिया गया, जो कि डीपीई दिशानिर्देश दिनांक 07.09.2016 के अनुसार है। हालाँकि कोटा इकाई की संपत्तियाँ बेच दी गई हैं, लेकिन चूँकि पलकड़ इकाई चलती इकाई है और यह केवल कोटा इकाई का संचालन बंद करना है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड एक चलती संस्था है।

तदनुसार, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार एक 'चलती संस्था' के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें राजस्व को मान्यता दी गई है और व्ययों का लेखा-जोखा लेखांकन की उपार्जन प्रणाली पर किया गया है।

अनुमानों का उपयोग: वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए अनुमानों और मान्यताओं की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या साकार होते हैं।

1. भूमि

कंपनी निःशुल्क प्राप्त लीज-होल्ड भूमि का मूल्यांकन 1 रुपये के नाममात्र मूल्य पर करती है।

2. अचल सम्पत्ति

अचल संपत्तियों का मूल्यांकन स्थाई आधार पर ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है और जहाँ भी लागू हो, वापसी योग्य करें और शुल्कों को घटाकर किया जाता है। अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से लेकर ऐसी संपत्तियों के चालू होने तक की सभी लागतें पूंजीकृत होती हैं।

3. निवेश

निवेशों को वर्तमान और दीर्घकालिक निवेशों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान निवेशों को लागत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर दर्शाया जाता है। दीर्घकालिक निवेशों को लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है और मूल्य में कमी का प्रावधान केवल तभी किया जाता है जब प्रबंधन की राय में यह गिरावट अस्थायी न हो।

4. मूल्यांकन

4.1 कच्चे माल, भंडार और स्पेयर पार्ट्स का मूल्यांकन लागत या अनुमानित प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

4.2 खरीदे गए घटकों और निर्मित घटकों (प्रक्रियाधीन घटकों सहित) का मूल्यांकन लागत या अनुमानित प्राप्ति

योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। उत्पादन आदेशों के विरुद्ध खरीदे/निर्मित किए गए लेकिन अधिशेष/अप्रचलित घोषित घटकों का मूल्यांकन अनुमानित स्क्रेप मूल्य पर किया जाता है। प्रक्रियाधीन कार्य का मूल्यांकन लागत या अनुमानित प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

- 4.3 स्टॉक में उपलब्ध ढीले औजारों और उपकरणों का मूल्यांकन लागत या अनुमानित प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। ₹5000 रुपये या उससे कम कीमत वाले उपयोग में आने वाले औजारों को राजस्व में शामिल किया जाता है, जबकि अन्य को तीन वर्षों की अवधि में बड़े खाते में डाल दिया जाता है।
- 4.4 तैयार माल और पूर्ण होने वाली वस्तुओं का मूल्यांकन लागत या अनुमानित प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। उत्पाद शुल्क भुगतान स्टॉक/शाखा/क्षेत्रीय/साइट और अन्य बाहरी स्थानों का मूल्यांकन लागत या अनुमानित प्राप्ति योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।
- 4.5 लागत का निर्धारण भारत औसत विधि का उपयोग करके किया जाता है और यह इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली लागत का सबसे उचित संभव अनुमान है।
- 4.6 ग्राहक के कार्यस्थलों पर चल रहे सिस्टम कार्य का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निष्पादित कार्य के लिए आनुपातिक अनुबंध मूल्य के 95 प्रतिशत पर किया जाता है जहाँ कार्य 20 प्रतिशत या उससे अधिक पूरा हो चुका हो। जहाँ अनुबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा हो, वहाँ ऐसे मूल्यांकन के लिए उद्धृत/बातचीत के अधीन मूल्य पर विचार किया जाता है। अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के वर्ष में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं।
- 4.7 स्क्रेप का हिसाब, स्क्रेप यार्ड में प्राप्त सीमा तक, अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर लगाया जाता है।

5. आवर्त

- 5.1 सिस्टम-बिक्री अनुबंध के संबंध में टर्नओवर का निर्धारण ग्राहकों/इंजीनियरिंग को प्रत्येक अनुबंध के लिए भेजे गए माल का वर्ष के अंत में तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर आनुपातिक मूल्य पर मूल्यांकन करके किया जाता है। ऐसे अनुबंधों का वर्ष के प्रारंभ में तकनीकी मूल्यांकन किया जाता है। जहाँ अनुबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहाँ ऐसे मूल्यांकन के लिए उद्धृत/बातचीत के अधीन मूल्य पर विचार किया जाता है।
- 5.2 पूर्ण/हस्तांतरित सिस्टम कार्य अनुबंधों का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अनुबंधों के विभाजन मूल्य पर किया जाता है। प्रगतिशील सिस्टम कार्य अनुबंधों के संबंध में टर्नओवर का निर्धारण ऐसे अनुबंधों का लेखा नीति संख्या 4.6 के अनुसार मूल्यांकन करके और उसे वर्ष के प्रारंभ में प्रगतिरत कार्य के मूल्यांकन से घटाकर किया जाता है, कार्य के समायोजन के बाद पूर्ण/हस्तांतरित।
- 5.3 खुदरा बिक्री पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन/रिटर्न को घटाकर प्राप्त की जाती है
- 5.4 बिक्री प्रेषण/ग्राहक की स्वीकृति के आधार पर वैध बिक्री अनुबंध के आधार पर निर्धारित की जाती है।

6. मूल्यहास

प्रत्यक्ष परिसम्पदाएँ:

- 6.1 मूल्यहास सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है। 01.04.1987 तक उपयोग में लाई गई अचल संपत्तियों के लिए, आयकर नियमों में निर्दिष्ट दर पर और 01.04.1987 के बाद 31.03.2014 तक जोड़ी गई संपत्तियों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची ग्ट में निर्दिष्ट लागू दरों पर मूल्यहास प्रदान किया गया था। 01.04.2014 से, मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प के अनुसार संपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।
- 6.2 लीज पर दी गई भूमि का परिशोधन लीज की अवधि में किया जाता है।
- 6.3 लीजहोल्ड भूमि के अलावा अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (2)(बी) के अनुसार गणना की गई दरों पर सीधी रेखा पद्धति से किया गया। प्रतिशत के अंश को 2 अप्रैल, 1987 से पहले उपयोग में लाई गई संपत्ति के संबंध में अगले प्रतिशत में पूर्णांकित किया गया।
- 6.4 संयंत्र और मशीनरी की जिन वस्तुओं की कीमत ₹5000/- रुपये प्रति वस्तु तक है, उन पर 100 प्रतिशत मूल्यहास लगाया गया है। अन्य परिसंपत्तियाँ जिनकी कीमत ₹750/- रुपये तक है और जिनका उपयोग 16.12.1993 से पहले किया गया था, उन पर 100 प्रतिशत मूल्यहास लगाया गया है और जिनकी कीमत ₹5000/- रुपये प्रति वस्तु तक है और जिनका उपयोग 16.12.1993 को या उसके बाद किया गया है, उन पर 100 प्रतिशत मूल्यहास लगाया गया है।
- 6.5 कार्य स्थलों पर परिसंपत्तियों का मूल्यहास 31.03.2014 तक अधिक टूट-फूट के कारण उच्च दरों पर किया गया। 1.04.2014 से, कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग-II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- 6.6 01.4.2014 से परिसम्पदाएँ जो कि पूंजीकृत की गई हैं, के अवशिष्ट मूल्य को उपरोक्त क्रम संख्याक 6.2 व 6.4 की मदों को छोड़कर 5 प्रतिशत की दर पर लिया गया है।

अप्रत्यक्ष परिसम्पदाएँ:

- 6.7 नए उत्पादन के लिए प्राप्त तकनीकी जानकारी और दस्तावेजों की लागत को पूंजीकृत किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर पांच वर्षों की अवधि में उनका मूल्यहास किया जाता है, जिस दिन से उन्हें उपयोग में लाया जाता है।
- 6.8 अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर और दस्तावेजों की लागत को पूंजीकृत किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग-II के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर पाँच वर्षों की अवधि में उनका मूल्यहास किया जाता है। जिस दिन से उन्हें उपयोग में लाया जाता है।
- 6.9 तकनीकी जानकारी, दस्तावेजों और सॉफ्टवेयर की लागत के संबंध में अवशिष्ट मूल्य शून्य माना जाता है।

7. अनुबंधात्मक दायित्व:

- 7.1 प्रत्येक सिस्टम बिक्री अनुबंध के वारंटी और निष्पादित भाग के अंतर्गत पूर्ण/सौंपे गए अनुबंधों के संबंध में

संविदात्मक दायित्व का प्रावधान, उत्पाद शुल्क को छोड़कर, मूल्य के 5 प्रतिशत पर रखा गया है।

7.2 संविदात्मक दायित्वों की पूर्ति के बाद इसे वापस लिख दिया जाता है। संविदात्मक दायित्वों के अंतर्गत किए गए व्यय, जिनमें कम आपूर्ति, प्रतिस्थापन, अस्वीकृतियाँ शामिल हैं, घटना के वर्ष में प्राकृतिक लेखा शीर्षों में प्रभावित किए जाते हैं।

8. समाप्त की गई गतिविधियाँ: लेखा मानक 24 के अनुसार

एक समाप्त की गई गतिविधि व्यावसाय का हिस्सा है:

(अ) यह कि एकल योजना के अनुसार व्यावसाय:

- पूरी तरह से इसका निपटान करना, जैसे कि इसे एक ही लेन-देन में बेचना या डीमर्जर या इसके शेयरधारकों को इसका स्वामित्व देना; या
- प्लेसमेंट का निपटान, जैसे कि घटक की संपत्तियों को बेचकर और उसकी देनदारियों को व्यक्तिगत रूप से बेचकर; या
- त्याग के जरिये निरस्त करना; तथा

(ब) जो किसी पृथक से व्यापार के किसी बड़े हिस्से का या संचालन के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो; और

(स) जिसे संचालन के आधार पर अलग किया जा सके तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए।

जैसा कि लेखांकन परंपरा में पहले उल्लेख किया गया है, कोटा कॉम्प्लेक्स का बंद करने का आदेश पारित किया जा चुका है, यह ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा करता है, इसलिए इसका संचालन बंद कर दिया गया है, लेकिन वित्तीय विवरण में AS 24 के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक परिसम्पदाएँ:

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हो और यह संभावना हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बहिर्वाह आवश्यक होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

10. परिसंपत्तियों की हानि:

परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है। यदि आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत मिलता है, तो हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

11. परिसमाप्त क्षतियाँ:

मूल्य में कमी अनुसूची, यदि कोई हो, का हिसाब तब लगाया जाता है जब वसूली हो जाती है और मामले को प्रबंधन द्वारा निपटारा हुआ माना जाता है।

12. नकदी प्रवाह विवरण:

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण पर वर्णित लेखांकन मानक 1.3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

13. अन्य

- 13.1 ग्रेच्युटी: कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ ली गई नकद संचय पॉलिसी के प्रीमियम के बराबर राशि ग्रेच्युटी ट्रस्ट में जमा करती है, ताकि जीवन बीमा निगम को आगे भुगतान किया जा सके।
- 13.2 अर्जित अवकाश: अर्जित छुट्टियों की देनदारियों का उस अवधि की समाप्ति के बाद बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए, इन्हें अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित भविष्य के भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। लाभों की छूट रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सरकारी बॉन्ड पर बाजार प्रतिफल का उपयोग करके की जाती है, जिनकी परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्व की अनुमानित अवधि के लगभग होती है। अनुभव, समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पुनर्मापन को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। दायित्वों को तुलन-पत्र में प्रावधानों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहाँ भी लागू हो, जैसा कि प्रबंधन द्वारा आवश्यक समझा जाता है।
- 13.3 अनुसंधान एवं विकास: अनुसंधान एवं विकास पर किया गया समस्त व्यय अचल संपत्तियों के अधिग्रहण को छोड़कर, राजस्व में शामिल किया जाता है।
- 13.4 विदेशी मुद्रा खातों का अनुवाद: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा खातों को निम्नलिखित दरों पर वार्षिक खातों में शामिल करने के लिए परिवर्तित किया जाता है।
- आय और व्यय की मदें औसत दर पर परिवर्तित की जाती हैं, सिवाय मूल्यह्रास के जिसे अचल संपत्तियों के लिए अपनाई गई दर पर परिवर्तित किया जाता है।
 - परिसम्पदाओं एवम् दायित्वों को समाप्त हुई दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
 - अनुवाद भिन्नताएँ, यदि डेबिट हैं, तो उन्हें आरक्षित / राजस्व में समायोजित किया जाता है।
- 13.5 विनिमय दर: आस्थगित भुगतानों और विदेशी मुद्रा में प्राप्य राशियों के लिए देयता का लेखा वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है, सिवाय अग्रिम विनिमय अनुबंधों / निश्चित देयताओं के मामले में।

दिनांक 31/03/2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर नोट्स

2. अंश पूँजी

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
अधिकृत	2,500.00	2,500.00
2,50,000 समता अंश (विगत वर्ष 2,50,000 1000/-रु प्रत्येक अंश के		

2.1 5 प्रतिशत से ज्यादा अंशधारकता वाले अंशधारक का विवरण:

अंशधारक का नाम	दिनांक 31/03/2025 को		दिनांक 31/03/2024 को	
	अंशों की संख्या	धारकता का प्रतिशत	अंशों की संख्या	धारकता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	240,450	100	240,450	100

2.2 कम्पनी में प्रमोटर धारकता का विवरण:

अंशधारक का नाम	दिनांक 31/03/2025 को		दिनांक 31/03/2024 को	
	अंशों की संख्या	धारकता का प्रतिशत	अंशों की संख्या	धारकता का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	240,450	100	240,450	100

2.3 शेष अंशों का समन्वय निम्न प्रकार है:

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
	अंशों की संख्या	अंशों की संख्या
वर्ष के आरम्भ में समता अंश	240,453	अंशों की संख्या
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी	—	—
घटायें: वर्ष के दौरान निरस्त किये गये	—	—
वर्ष के अन्त में समता अंश	240,453	240,453

2.4 नकद के अतिरिक्त प्रतिफल के विरुद्ध जारी कुल अंशों की संख्या:

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
	अंशों की संख्या	अंशों की संख्या
समता अंश	753	753

3. संचित एवम् अधिशेष

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
संचित पूँजी		
विगत वित्तीय विवरणों के आधार पर	101.42	101.42
लाभ एवम् हानि का विवरण		
तुलन-पत्र के आधार पर	(50,748.36)	(50,983.77)
घटायें: वर्ष 2021-22 का भारत सरकार को दिया गया लाभांश	—	319.77
घटायें: वर्ष 2022-23 का भारत सरकार को दिया गया लाभांश	—	145.82
घटायें: वर्ष 2023-24 का भारत सरकार को दिया गया लाभांश	210.00	—
जोड़ें: वर्ष का लाभ/(हानि)	1,378.43	701.00
जोड़ें: स्थाई परिसम्पदाओं का समायोजन (शेष मूल्य)	—	—
अन्तिम शेष	(49,579.92)	(50,748.94)
कुल	(49,478.50)	(50,646.94)

इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड

दिनांक 31/03/2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण पर नोट्स

4. अंश आवेदन राशि जिनका आवंटन लम्बित है

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
अंश आवेदन राशि जिनका आवंटन लम्बित है	12,200.96	12,200.96

- 4.1 भारत सरकार के ऋण की राशि 2598.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2598.46 लाख रुपये) को इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित किया गया 2,59,846 (पिछले वर्ष 2,59,846) इक्विटी शेयरों 1000/- रुपये प्रति शेयर का आवंटन लम्बित है।
- 4.2 कम्पनी द्वारा एमआरएस के तहत प्राप्त 4836.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4836.00 लाख रुपये) की राशि 4,83,600 (पिछले वर्ष 4,83,600) 3.5 प्रतिशत वरीयता अंश, 1000/- प्रत्येक अंश जारी करने के विरुद्ध प्राप्त की गई।
- 4.3 भारत सरकार से 4766.50 लाख रुपये (विगत वर्ष 4766.50 लाख रुपये) कम्पनी के द्वारा 4,76,650 (विगत वर्ष 4,76,650) समता अंश 1000/- रु. प्रति अंश के हिसाब से जारी करने हेतु प्राप्त किये गये।

5. दीर्घावधि ऋण

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को		दिनांक 31/03/2024 को	
	अचल	चल	अचल	चल
असुरक्षित (0% पर हस्तान्तरित किया गया)	—	51,647.37	—	56,317.83
कुल	—	51,647.37	—	56,317.83

- 5.1 भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.12.2016 के पत्र संख्या 5(1)/2016-च-टप्प द्वारा सूचित 30.11.2016 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आईएल की कोटा इकाई (कोटा कॉम्प्लेक्स) को बंद किया जाना है और आईएल की पलक्कड़ इकाई को केरल सरकार को हस्तांतरित करने की प्रधान स्वीकृति दी गई है। आईएल को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹58457.00 लाख रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसे बाद में इक्विटी में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि कोटा इकाई के बंद होने पर देनदारियों को पूरा किया जा सके।
- 5.2 भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 23.02.2016 के पत्र संख्या 5(4)/2010-पीई-टप्प द्वारा सूचित सीसीईए के अनुमोदन के अनुसरण में, भारत सरकार के दिनांक 31.03.2016 तक के ₹1675.00 लाख रुपये के ऋण और ₹2252.53 लाख रुपये के सामान्य एवं दंडात्मक ब्याज को 48.16 करोड़ रुपये के प्रतिफल के प्रति समायोजित किया गया है, जो कि आईएल में आईएल की संपूर्ण शेयरधारिता का भारत सरकार को हस्तांतरण है। शेष ₹8.88 करोड़ रुपये आईएल के भविष्य के पुनर्गठन/समापन दायित्व (₹48.16 करोड़ - ₹39.28 करोड़ रुपये) के लिए समायोजित किए जाएंगे। अतः शेष ₹8.88 करोड़ रुपये की राशि को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोटा कॉम्प्लेक्स के बंद होने के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ऋण से समायोजित किया जाता है।

5.3 वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार को हस्तान्तरित अचल संपत्तियों की बिक्री आय शीर्षक के अंतर्गत नोट संख्या 22 में ₹4670.45 लाख रुपये की राशि निहित है। इस राशि में जयपुर में भूमि की बिक्री से प्राप्त ₹3510.38 लाख रुपये और नई दिल्ली स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स में कार्यालय स्थान की बिक्री से प्राप्त ₹1160.07 लाख रुपये शामिल हैं। कुल ₹4670.45 लाख रुपये की राशि को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में कोटा कॉम्प्लेक्स के बंद होने के एवज में भारत सरकार से प्राप्त ऋण से समायोजित किया गया है।

5.4 कंपनी को भारी उद्योग मंत्रालय से दिनांक 18.06.2025 के पत्र संख्या 8–17 / 1 / 2023.च-8(म.25789) के माध्यम से भारत सरकार के उपरोक्त ₹516.48 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने और अधिकृत शेयर पूंजी को मौजूदा ₹25 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹550 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ₹516.48 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर वित्तीय वर्ष 2025–26 में भारत सरकार को जारी किए जाएंगे।

6. विलम्बित कर दायित्व / परिसम्पदा (शुद्ध)

विलम्बित कर सम्पदा (शुद्ध):— लेखांकन मानक-22 “आय पर करों का लेखा” के अनुसार, विलम्बित कर परिसंपत्तियों / देयताओं का लेखा-जोखा पुस्तकों में विवेकपूर्ण तरीके से नहीं किया गया है क्योंकि इस बात की कोई उचित निश्चितता नहीं है कि भविष्य में कर योग्य आय ऐसी विलम्बित कर परिसंपत्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होगी। विलम्बित कर परिसंपत्तियाँ / देयता निम्नानुसार हैं:

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024–25	2023–24
विलम्बित कर परिसम्पदाएँ (शुद्ध)	—	—

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को		दिनांक 31/03/2024 को	
7. अन्य दीर्घावधि दायित्व	चल	अचल	चल	अचल
सप्लायरों तथा अनुबन्धकों से प्राप्त जमा	—	55.75	—	33.98
कर्मचारी लाभ	—	264.63	—	189.71
	—	320.38	—	223.69
8. लघु अवधि के ऋण	चल	टचल	चल	अचल
सुरक्षित बैंकों से नकद ऋण सीमा				
	—	—	—	—

8.1 सुरक्षा की प्रवृत्ति: कंपनी की मूर्त चल चालू परिसंपत्तियों जैसे कच्चा माल, प्रक्रियाधीन स्टॉक, घटक, तैयार माल, उपभोग्य भंडार, उपकरण और औजार, ग्राहक स्थलों पर प्रगतिरत कार्य और प्राप्त आदि के बंधक के माध्यम से सुरक्षित। बैंक द्वारा स्वीकृत नकद ऋण सीमा का उपयोग कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान नहीं किया गया है।

9. व्यापारिक देयताएँ

(रूपये लाखों में)

	दिनांक 31/03/2025 को		दिनांक 31/03/2024 को	
व्यापारिक देयताएँ:-				
— सूक्ष्म एवम् लघु उद्योगों का बकाया	488.85		483.02	
— सूक्ष्म एवम् लघु उद्योगों के अतिरिक्त बकाया स्वीकारताएँ	358.46	847.31	560.84	1,043.86
घटायें: डेबिट शेष		10.33		11.98
कुल व्यापारिक देयताएँ		836.98		1,031.88

9.1 व्यापारिक देयताओं के अवधिकाल की अनुसूची:

विवरण	(रूपये लाखों में)				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
एमएसएमई-सूक्ष्म एवम् लघु	470.51	0.52	—	17.82	488.85
एमएसएमई-मध्यम	23.59	—	—	—	23.59
अन्य	329.03	0.43	5.40	—	334.86
एमएसएमई की विवादित बकाया	—	—	—	—	—
अन्य विवादित बकाया	—	—	—	—	—

9.2 (अ) कंपनी पर सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया है, जिनका 31 मार्च, 2025 तक 45 दिनों से अधिक का बकाया है। यह राशि 33.22 लाख रुपये (पिछले वर्ष 62.89 लाख रुपये) है, जिसमें पलक्कड़ इकाई से संबंधित चालू वर्ष के 15.40 लाख रुपये शामिल हैं। सामग्री अस्वीकृति के कारण (पिछले वर्ष पलक्कड़ इकाई से संबंधित 45.07 लाख रुपये शामिल हैं)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली यह जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसे पक्षों की पहचान की गई है।

(ब) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 719(ई) दिनांक 16 नवंबर 2007 के साथ पठित अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रकटीकरण:

(रूपये लाखों में)

विवरण	31.03.2025	31.03.2024
(क) मूलधन जिसका भुगतान नहीं किया गया है तथा जिस पर ब्याज बकाया है	494.10	606.11
(ख) धारा 16 के अन्तर्गत भुगतान किया गया ब्याज	—	—
(ग) भुगतान में किये गये विलम्ब पर बकाया ब्याज जिसका भुगतान किया जाना है	—	—
(घ) अर्जित ब्याज जिसका भुगतान बकाया है	—	—
(ङ) आगामी वर्षों में बकाया ब्याज जिसका भुगतान किया जाना है	—	—

10. अन्य चालू दायित्व

(रूपये लाखों में)

	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वताएँ (नोट सं . 5 के हस्तान्तरित)	51,647.37	56,317.83
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम विरुद्ध:-		
फुटकर बिक्री	328.93	345.34
खर्चों के लिए	675.16	630.35
अन्य	196.03	156.69
कर्मचारी लाभ	—	—
ब्याज अर्जित पर बकाया नहीं	—	—
ठेकेदारों, सप्लायरों तथा अन्य से जमा	138.33	138.33
कुल योग	52,985.83	57,588.54

11. लघु अवधि के प्रावधान

	दिनांक 31 .03.2025	दिनांक 31 .03.2024
— आयकर के लिए प्रावधान	—	—
— संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान	—	—
— कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रावधान	24.15	22.65
कुल योग	24.15	22.65

11.1 परियोजना और उत्पादों के संबंध में पर्याप्त प्रावधान, जहां कंपनी वारंटी के दायित्व के अधीन है, एएस-29 के अनुसार पुस्तकों में किया गया है। प्रावधानों का विवरण निम्न प्रकार है:

	दिनांक 01 .04.2024 को शेष	वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान	वर्ष के दौरान वापिस किये गये प्रावधान	दिनांक 31 .03.2025 को शेष
आकस्मिकताएँ	—	—	—	—
बिक्री कर	—	—	—	—
अन्य	—	—	—	—
कुल	—	—	—	—

अचल परिसम्पदाएँ

(रुपये लाखों में)

विवरण	सकल ब्लॉक 01.04.2024 को	वर्ष के दौरान बढ़ता	कटौती / अपलिखित समायोजन	31.03.2025 को	संचित मूल्यहास 01.04. 2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती / बिक्री / अपलिखित समायोजन	संचित मूल्यहास 31.03. 2025 तक	शुद्ध ब्लॉक 31.03.2025 को	31.03.2024 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मूर्त परिसम्पदाएँ										
भूमि (नोट सं. 5 देखें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सड़क, नालियाँ और पुलिया	14.60	—	—	14.60	13.87	—	—	13.87	0.73	0.73
भवन	651.98	7.43	—	659.41	336.62	13.90	—	350.52	308.89	315.36
विद्युत इन्स्टालेशन	197.05	2.99	—	200.04	139.82	15.46	—	155.27	44.77	57.24
जल निकास, सीबरेज एवम् जल आपूर्ति	8.73	—	—	8.73	8.30	—	—	8.30	0.44	0.44
फर्नीचर एवम् फिटिंग्स	49.64	—	—	49.64	47.54	0.20	—	47.74	1.90	2.10
संयंत्र एवम् मशीनरी	2,026.37	30.47	109.27	1,947.57	1,822.89	43.01	103.81	1,762.09	185.48	263.05
अन्य उपकरण	171.30	2.65	0.27	173.67	130.09	4.51	0.28	134.93	38.74	40.61
परिवहन उपकरण	76.87	6.12	13.05	69.95	47.52	5.15	12.40	40.28	29.67	29.35
कुल अ	3,196.55	49.67	122.60	3,123.62	2,547.24	82.23	116.47	2,513.00	610.63	708.87
विगत वर्ष	3,217.01	119.61	77.34	3,259.27	2,512.08	111.82	73.50	2,550.40	708.87	
अमूर्त परिसम्पदाएँ										
तकनीकी ज्ञान	280.69	—	—	290.69	252.19	12.89	—	285.08	25.61	38.50
सॉफ्टवेयर	127.42	10.82	—	138.23	67.86	5.70	—	73.56	64.67	—
कुल ब	418.10	10.82	—	428.92	320.04	18.60	—	338.64	90.28	38.50
विगत वर्ष	355.38	—	—	355.38	303.99	12.89	—	316.88	38.50	—
कुल अ + ब	3,614.65	90.49	122.60	3,552.55	2,867.28	100.83	118.47	2,851.64	700.91	747.37
विगत वर्ष	3,572.39	119.61	77.34	3,614.66	2,816.07	124.71	73.50	2,867.28	747.37	
कार्यशील पूँजी										
कार्यशील पूँजी										
स्टॉक में पूँजी मंदे										
कुल स										
									3.16	1.64
									—	—
									3.16	1.64

- 12.1 कोटा की भूमि को सभी भारों के निर्मित संरचना शुल्क के साथ तहसीलदार, लाडपुर, कोटा, राजस्थान सरकार को दिनांक 29.08.2018 को सौंप दी गई।
- 12.2 भवन के कुल सकल ब्लॉक की राशि 651.98 लाख रुपये है, जिसमें कोटा और पलक्कड़ इकाई से संबंधित संपत्तियां शामिल हैं। कोटा कॉम्प्लेक्स से संबंधित मुंबई में 12 प्लैट और वडोदरा में 1 प्लैट का सकल कालाधन 96.13 लाख रुपये है।
- 12.3 परिसंपत्तियों की हानि पर लेखांकन मानक-28 के अंतर्गत अपेक्षित हानि की हानि को ब।व्ध।ड कार्यस्थल पर मान्यता दी गई है और इसे 1/- कर दिया गया है।
- 12.4 सड़क, नालियां और पुलिया तथा जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति अवशिष्ट मूल्य के साथ पड़े हैं।
- 12.5 पलक्कड़ इकाई के स्वामित्व वाली 506.30 एकड़ भूमि, जिसे 30.03.1964 को औद्योगिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि आवंटन नियमों के तहत पुडुस्सेरी, केरल में प्रिसिजन इंस्ट्रुमेंटेशन परियोजना की स्थापना के लिए इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को रजिस्ट्री के माध्यम से सौंपा गया था। दिनांक 01.12.2018 के पत्र के अनुसार, 566.30 एकड़ भूमि, पट्टा संख्या 938, दिनांक 12.10.1976 के माध्यम से, पुडुस्सेरी, केरल में, असाइनमेंट नियम के तहत, रजिस्ट्री द्वारा इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, कोटा को सौंपी गई थी। भूमि हस्तांतरण में कोई पट्टा/किराया क्रय समझौता निष्पादित नहीं किया गया था। 2009 तक की अवधि में अन्य सरकारी संस्थानों को अप्राप्त भूमि का पुनर्ग्रहण/समर्पण/आवंटन किया गया था। तहसीलदार (भूमि अभिलेख) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की कार्यवाही संख्या 13-2018/19231/9/500 दिनांक 10.06.2019 के अनुसार, सर्वे 37/13 में 48.9320 हेक्टेयर (120.91 एकड़) भूमि पर कब्जा है। ब्लॉक 35 और भूमि की श्रेणी स्वयं की संपत्ति है। सर्वे संख्या 37/2 ब्लॉक 35, 88.7920 हेक्टेयर (219.40 एकड़) भूमि, केंद्र सरकार के नाम पर है। परिशुद्धता परीक्षण पुनर्स्थापन परियोजना और भूमि की श्रेणी "परनबोक्कू" (सरकारी भूमि) है। उपरोक्त के विरुद्ध अपील केरल सरकार द्वारा कर मुक्त पर आवंटित की गई थी। इसलिए, नाममात्र मूल्य पर मूल्यांकित भूमि के लिए तहसीलदार का आदेश आरडीओ के समक्ष 23.06.2021 को दायर किया गया था, जिसमें 566.30 एकड़ भूमि को इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, पलक्कड़ की अपनी संपत्ति के रूप में विधिवत दर्शाते हुए नया आदेश जारी करने का आदेश दिया गया था। यह भूमि केरल सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटित की गई थी। इसलिए, भूमि का मूल्य 1/- रु. है।
- 12.6 वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में प्रगतिरत पूंजीगत कार्य को चालू वर्ष में पूंजीकृत कर दिया गया है। चालू वर्ष के लिए प्रगतिरत पूंजीगत कार्य पलक्कड़ इकाई के एमएस/एसएस स्क्रेप वार्ड में स्टील की छत प्रदान करने से संबंधित है।
- 12.7 कार्यशील पूंजी के अवधिकाल की अनुसूची वर्ष 2024-25 के लिए

कार्यशील पूंजी	कार्यशील पूंजी की राशि निम्न अवधि के लिए				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रक्रियाधीन परियोजना	3.16	—	—	—	3.16
अस्थाई परियोजना	—	—	—	—	—
अतिदेय कार्यशील पूंजी					
परियोजना-1	—	—	—	—	—
परियोजना-1	—	—	—	—	—

12.8 कम्पनी के नाम की अचल सम्पत्ति का विवरण

तुलन-पत्र में सम्बन्धित समय की मद	मद सम्पत्ति का विवरण	सकल मूल्य	स्वामित्व दस्तावेज में वर्णित नाम	क्या स्वामित्व दस्तावेजधारी प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर, निदेशक का रिश्तेदार है	दिनांक जिससे सम्पत्ति का स्वामित्व हो	कम्पनी के नाम से सम्पत्ति ना होने का कारण
पीपीई	भूमि	नहीं				यदि विवादित है तो बतायें
—	भवन	नहीं				
उचित निवेश	भूमि					
—	भवन					
पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया और निपटान के लिए रखा गया	भूमि					
—	भवन					
अन्य	भूमि					

भूमि का वर्णन नोट संख्या 12.4 में दिया गया है।

13. अचल निवेश

(रूपये लाखों में)		
विवरण	दिनांक 31.03.2025	दिनांक 31.03.2024
दीर्घावधि निवेश	—	—
लागत पर व्यापार (गैर उद्धृत)	—	—
कुल योग	—	—

14. दीर्घावधि के ऋण एवम् अग्रिम

(रूपये लाखों में)

	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
(असुरक्षित, जब तक विरुद्ध वर्णन ना हो तब तक अच्छे माने गये)		
पूँजीगत मदों के विरुद्ध अग्रिम सुरक्षित जमा	—	—
जमा:—		
— सरकारी विभागों में	12.32	12.32
— अन्य में	—	—
	12.32	12.32
अन्य ऋण एवम् जमा	—	—
नगद या टुकड़ों या मूल्य में प्राप्त होने वाले अग्रिम		138.33
— सही माना गया	639.02	771.00
— संदेहास्पद माने गये	—	—
	639.02	771.00
घटायें: प्रावधान	—	—
पूर्वअदायगी खर्च	639.02	771.00
— पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम, एक्साईज आदि में शेष	28.76	29.66
	—	—
कुल	680.10	812.98

15. अन्य अचल परिसम्पदाएँ

(रूपये लाखों में)

विवरण	दिनांक 31 .03.2025	दिनांक 31 .03.2024
जमा:—		
— सरकारी विभागों में	11.86	11.28
— अन्य में	28.98	28.08
जमा एवम् अग्रिम में अर्जित ब्याज	1.40	1.65
कुल योग	42.24	41.01

16. चालू निवेश

(रूपये लाखों में)

विवरण	दिनांक 31 .03.2025	दिनांक 31 .03.2024
अन्य — लागत पर व्यापार (गैर उद्धृत)		
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि० में 10/— रु .	0.04	0.04
प्रत्येक के हिसाब से पूर्णतः भुगतान वाले 350 समता अंश (विगत वर्ष 10/— रु . प्रत्येक के हिसाब से 350 समता अंश)		
कुल योग	0.04	0.04

16.1 कोटा कॉम्प्लेक्स को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के मद्देनजर, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में निवेश मई 2017 में भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सौंप दिया गया है। इसकी मंजूरी अभी प्रतीक्षित है।

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
17. माल		
1. अ. कच्चा माल	353.43	331.72
ब. खरीदे गये अवयव	2,552.18	3,284.45
स. बनाये गये अवयव	752.91	4,362.17
2. प्रक्रियाधीन कार्य	618.80	708.28
3. अ. पूर्ण सामान	555.27	480.98
ब. पूर्णाधीन सामान	—	480.98
4. स्टोर एवम् स्पेयर पार्ट्स	110.29	112.01
5. लूज, टूल्स एवम् इम्प्लीमेन्ट्स	66.04	62.37
	5,008.92	5,725.78
घटायें: स्टॉक विसंगति के लिए प्रावधान	—	—
कुल योग	5,008.92	5,725.78

17.1 उपरोक्त माल में निम्न सामान शामिल है:—

अन्य के पास रखा हुआ 188.35 213.95

17.2 तैयार माल में शामिल वस्तुओं का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य .66 लाख रुपये (पिछले वर्ष 272.19 लाख रुपये) है। यह ग्राहकों से प्राप्त पूर्व ऑर्डर पर आधारित है जोकि 5 वर्ष पुराने हैं।

17.3 कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे, खरीदे गए पुर्जे, निर्मित पुर्जे, ढीले औजार और स्टॉक में मौजूद उपकरण जिनका मूल्य लागत पर आंका जाता है, उन्हें इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनका उपयोग उन वस्तुओं के निर्माण में किया जाएगा जिनके लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

17.4 समस्त सामान पल्लकड़ इकाई से सम्बन्धित है।

(रुपये लाखों में)

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
18. सिस्टम कार्य (साईट पर) (₹)		
— प्रक्रियाधीन	—	—
घटायें: ग्राहकों से प्राप्त हुई राशि (कॉन्ट्रा के अनुसार)	—	—
कुल योग	—	—
(₹ ₹	4.6 देखें	

विवरण	दिनांक 31/03/2025 को	दिनांक 31/03/2024 को
19. व्यापार प्राप्य (असुरक्षित, जब तक विरुद्ध वर्णन ना हो तब तक अच्छे माने गये) छः माह से अधिक बकाया:—A — सही माना गया हो — संदेहास्पद माने गये हो अन्य देयताएँ — सही माना गया हो — संदेहास्पद माने गये हो	961.90 1,069.57 4,664.07 — 6,695.54	1,319.55 329.04 3,266.66 — 4,915.25
घटायें: प्रावधान	1,069.57	5,625.97
प्रतिधारण राशि	8.53	329.04
	5,634.50	4,586.21
कुल योग	5,634.50	112.01
		4,606.78
		4,606.78

19.1 समस्त देनदार पलक्कड़ इकाई से सम्बन्धित हैं।

19.2 प्रबंधन द्वारा संदिग्ध माने गए ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है। चालू वर्ष के दौरान 526.06 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य) की राशि प्रदान की गई है। चालू वर्ष के दौरान कोई भी ऋण बड़े खाते में नहीं डाला गया है (पिछले वर्ष 5600.92 लाख रुपये, जिसके लिए पिछले वर्षों में प्रावधान किया गया था, देनदारों के विरुद्ध सेट ऑफ कर दिया गया है।)

19.3 चालू वर्ष के दौरान परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की गई 214.47 लाख रुपये (पिछले वर्ष 329.04 लाख रुपये) की राशि, जिसमें से 155.01 लाख रुपये और पिछले वर्ष 59.45 लाख रुपये, लाभ-हानि विवरण में जोड़ दी गई है और जैसा कि नोट संख्या 32 और 32.7 में दर्शाया गया है।

19.4 विविध देनदार, ऋण और अग्रिम, ब्याज सहित, ग्राहकों, लेनदारों के साथ जमा खाते में शेष राशि, अन्य लोगों के पास और ग्राहकों की साइटों पर सामग्री और अन्य व्यक्तिगत खातों को पुस्तकों के अनुसार लिया जाता है।

19.5 व्यापारिक देनदार के अवधिकाल का विवरण :

(रुपये लाखों में)

विवरण	निम्न अवधि के लिए भुगतान की तिथि से बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
अविवादित व्यापार प्राप्य — सही माना गया	4,664.07	444.29	295.99	66.73	163.42	5,634.50
अविवादित व्यापार प्राप्य — संदेहास्पद माना गया	—	155.01	190.55	172.13	551.88	1,069.57
विवादित व्यापार प्राप्य — सही माना गया	—	—	—	—	—	—
विवादित व्यापार प्राप्य — संदेहास्पद माना गया	—	—	—	—	—	—

(रुपये लाखों में)

	2025	24
	को	को
— नकद एवम् नकद समान		
— हाथ में नकदी	0.65	3.23
— बैंक, डीडी, स्टाम्प्स हाथ में जो परिवहन में उ	0.02	0.02
शामिल करते हुए		
— बैंक में		
— चालू एवम् बचत खातों में	255.95	117.46
— नकद ऋण सीमा में	—	—
— तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा	1,452.36	394.13
	.98	.84
— अन्य बैंक शेष		
— मार्जिन राशि खाते में	25.00	—
— स्थाई जमा में		
— तीन माह से अधिक पर बारह माह से कम	1,817.09	3,899.09
मूल परिपक्वता वाले जमा		
जमा	3,275.58	1,310.10
४	5,092.67	5,209.19
	.65	.03
5	.98	.84
एवम् नकद समान की परिभाषा में आते हैं		
* रु	.48 लाख रुपये (विगत वर्ष 4.46	
लाख रुपये) को शामिल करते हुए		
1. लघु अवधि के ऋण एवम् अग्रिम		
(असुरक्षित, जब तक विरुद्ध वर्णन ना हो तब तक		
अच्छे माने गये)		
— सही माना गया		16.29
— संदेहास्पद माना गया	16.30	—
	.30	.29
	.30	.29
८	.64	.39
स्त्रोत पर कटौती		
पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम्स, एक्साईज आदि में शेष	4.29	43.59
अन्य	16.87	6.95
जमा:—		
— सरकारी विभागों में	—	—
— अन्य में	—	—
	.10	.22
अन्य चालू सम्पदाएँ		
एवम् अग्रिम पर अर्जित ब्याज	.75	.45
— सरकारी विभागों में	—	—
— अन्य में	0.45	0.12
— दावे व अन्य प्राप्त होने वाली राशियाँ		
— सही माना गया	206.50	166.34
— संदेहास्पद माना गया	—	—
	.50	.34
घटायें: प्रावधान	206.50	166.34
८ सरकार को हस्तान्तरित की गई अच		.00
परिसम्पदाओं का विक्रय प्रतिफल	.70	.88

22.1 अचल संपत्तियों की बिक्री आय में जयपुर में भूमि की बिक्री के विरुद्ध 3662.93 लाख रुपये (जिसमें 152.55 लाख रुपये की बिक्री आय के एफडीआर पर ब्याज शामिल है) और स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय स्थान की बिक्री के विरुद्ध 1160.07 लाख रुपये शामिल हैं। कुल 4823 लाख रुपये वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार की समेकित निधि में स्थानांतरित किए गए। 4670.45 लाख रुपये की राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोटा कॉम्प्लेक्स के बंद होने के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्त ऋण से समायोजित की गई है और 152.55 लाख रुपये की बिक्री आय के एफडीआर पर ब्याज को पूर्व अवधि के नोट संख्या 31.1 में व्यय में स्थानांतरित किया गया है।

23. संचालन से राजस्व

विवरण	2024-25	2023-24
अ. खुदरा विक्रय	12,730.40	9,567.76
ब. अन्य सेवायें	90.54	17.81
	12,820.94	9,585.57

24. आंतरिक उपयोग के लिए की गई जॉब्स

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
पूँजीगत मर्दे	—	—
अन्य	—	—
	—	—

25. अन्य आय

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
अतिरिक्त दायित्व की वापसी	29.04	49.70
स्थायी परिसम्पदाओं के विक्रय से लाभ	—	—
ब्याज		
— बैंक	408.78	402.63
— अन्य	3.48	7.02
विनिमय अन्तर (शुद्ध)	1.06	—
स्क्रेप विक्रय	35.69	55.32
किराया एवम् अन्य राजस्व		
— टाऊनशिप	4.31	4.04
— अन्य	—	—
विविध आय	76.50	72.90
अन्य से लाभांश	—	—
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) लि०	—	—
कुल	558.87	593.23

26. उपभोग किये गये सामान की लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	इकाई	2024-25		2023-24	
		मात्रा		मात्रा	
(अ) कच्चे माल का उपभोग					
1. स्टेनलेस स्टील, व	कि.ग्रा.	54,957	207.49	45,647	139.01
मिश्र धातु इस्पात, व	मीटर	6,270	16.07	4,757	13.43
अन्य विशिष्ट मिश्र धातु इस्पात	संख्या	40	0.11	66	0.20
2. हल्के एवम् मिश्र धातु इस्पात	कि.ग्रा.	1	0.00	97	0.25
	मीटर	66	5.32	305	1.30
3. ताँबा और ताँबा आधारित मिश्र धातु	कि.ग्रा.	279	3.67	796	9.51
तथा अन्य अलौह धातुएँ एल्युमीनियम	मीटर	1,162	1.88	540	0.93
को छोड़कर					
4. एल्युमीनियम तथा इसकी मिश्र धातु	कि.ग्रा.	—	—	—	—
	मीटर	—	—	—	—
5. अन्य	कि.ग्रा.	—	0.11	—	—
	मीटर	1	0.15	475	0.64
	संख्या	—	—	—	—
			234.80		165.27
अन्य समायोजन			—		—
कुल (अ)			234.80		165.27
(ब) खरीदे गये अवयव					
1. इलैक्ट्रीकल, इलैक्ट्रॉनिक्स एवम्			—		—
इलैक्ट्रौ-मैकेनिकल उपकरण और सब					
असेम्बलियाँ					
2. वायवीय फिटिंग			—		—
3. फास्टनर			63.10		47.62
4. अन्य सहायक उपकरण एवम् सब			0.14		0.13
असेम्बलियाँ					
5. मैकेनिकल, मेटेलिक उपकरण एवम्			5,423.19		4,301.49
सब असेम्बलियाँ					
6. अधातु उपकरण एवम् सब असेम्बलियाँ			92.81		91.33
			5,579.25		4,440.58
अन्य उपयोग / समायोजन			—		—
कुल (ब)			5,579.25		4,440.58
(स) पूर्ण हो रही मर्दे					
— आरम्भिक स्टॉक			—		—
— क्रय			—		—
— अन्य समायोजन			—		—
			—		—
घटायें: विक्रय के अतिरिक्त उपयोग में लिए			—		—
गए					
समाप्ति स्टॉक			—		—
कुल (सी)			—		—
कुल (अ) लगायत (स)			5,814.05		4,605.85

26.1 विभिन्न विनिर्देशों के कारण, उपभोग किए गए घटकों और पूरी करने वाली वस्तुओं के संबंध में मात्रा डेटा नहीं दिया गया है।

26.2 सामग्री पर व्यय, अर्थात् कच्चे माल, खरीदी गई वस्तुओं, पूर्ण सामग्री, भण्डार एवं पुर्जों और औजारों की खपत में खरीदी गई वस्तुओं के अप्रचलित होने के कारण 3.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2.94 लाख रुपये) की मूल्य में कमी शामिल है। इसमें निर्मित वस्तुओं के 1.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1.67 लाख रुपये) मूल्य में हुई मूल्य में कमी शामिल नहीं है।

27. पूर्ण सामान, प्रक्रियाधीन तथा उत्पादित माल के स्कन्ध में परिवर्तन

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
अन्तिम शेष		
(अ) पूर्ण सामान	555.27	480.98
(ब) प्रक्रियाधीन	618.80	708.25
(स) उत्पादित माल	752.91	745.99
कुल	1,926.98	1,935.22
घटायें: आरम्भिक शेष		
(अ) पूर्ण सामान	480.98	571.56
(ब) प्रक्रियाधीन	708.25	395.13
(स) उत्पादित माल	745.99	579.85
कुल	1,935.23	1,546.54
कुल बढ़त / (घटत)	(8.25)	388.69

28. कर्मचारी हितार्थ खर्च

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
वेतन, बोनस तथा भत्ते	2,117.53	2,263.58
भविष्य निधि योगदान	182.48	200.44
ग्रेच्युटी	74.72	27.05
कर्मचारी कल्याण खर्च	245.57	243.64
कुल	2,620.29	2,734.71

28.1 वर्ष के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक के रूप में निम्नलिखित राशि का भुगतान और प्रावधान किया गया :-

(रुपये लाखों में)

	2024-25	2023-24
वेतन एवम् भत्ते	—	—
भविष्य निधि योगदान	—	—
अन्य परिलाभ	—	—

आमजन व्यवहार पर खर्च निम्न प्रकार हैं

(रुपये लाखों में)

	2024-25	2023-24
वेतन, बोनस एवम् भत्तों जो नोट सं. 28 में शामिल है	—	—
आमजन व्यवहार खर्च नोट सं. 31 पर हैं	—	—

29. वित्तीय लागत

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
बैंक ऋण	—	—
अन्य	—	—
कुल	—	—

30. मूल्यहास और परिशोधन व्यय

(रूपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
मूल्यहास		
प्रत्यक्ष परिसम्पदाओं पर मूल्यहास (कृपया नोट सं 12 देखें) अ	82.23	111.82
अप्रत्यक्ष परिसम्पदाओं पर मूल्यहास (कृपया नोट सं 12 देखें) ब	18.60	12.89
विलम्बित राजस्व खर्चों का परिशोधन		
वर्ष के दौरान परिशोधन स	—	—
मूल्यहास एवम् परिशोधन व्यय (अ+ब+स)	100.83	124.71

31. अन्य खर्च

विवरण	2024-25	2023-24
निदेशक फीस एवम् खर्च	2.51	1.72
किराया	6.00	7.29
रेट व कर	13.32	38.29
बीमा	4.26	4.87
यात्रा के खर्च — निदेशक	6.96	8.79
यात्रा के खर्च — अन्य	49.47	47.52
वाहन खर्च	0.99	(2.66)
वाहन उपयोग एवम् रखरखाव	23.19	22.13
लेखापरीक्षकों को भुगतान (लागत लेखापरीक्षकों को मिलाकर)		
(अ) लेखापरीक्षक के		
— फीस	1.92	1.72
— अन्य खर्च	1.36	0.03
(अ) अन्य क्षमता के सम्बन्ध में		
— प्रमाणीकरण एवम् आंतरिक लेखापरीक्षा शुल्क	15.10	9.94
— कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.72	0.72
विविध खर्च	5.91	16.16
मरम्मत एवम् रखरखाव (वेतन व मजदूरी के अलावा)		
— संयंत्र और मशीनरी	5.36	0.01
— भवन	140.40	173.68
— अन्य	7.79	9.12
विज्ञापन एवम् प्रचार	1.53	2.73
व्यापार संवर्दन	—	—
स्टोर, स्पेयर्स एवम् औजारों की खपत	135.98	142.22
पैकिंग और अग्रेषण	335.69	256.69
अन्य विक्रय एवम् वितरण व्यय	28.47	34.14
परिनिर्धारित नुकसान	155.01	134.03
ऊर्जा एवम् विद्युत	82.36	78.88
जल व्यय	23.59	30.65
सामाजिक कल्याण खर्च	10.65	9.21
सीएसआर खर्च	15.57	22.48
अनुसंधान एवम् विकास (वेतन एवम् मजदूरी के अलावा)	0.29	1.28
मुद्रण एवम् स्टेशनरी	20.96	26.52
स्थाई परिसम्पदा के विक्रय से हानि	0.39	—
दावे/विविध डेबिट शेष	—	4.36
बैंक चार्ज	20.46	27.56
विनिमय दर परिवर्तन (शुद्ध)	—	0.20
पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलेक्स एवं टेलीफोन खर्च	7.57	6.31
विविध खर्च	118.30	76.15
पूर्व अवधि की मदें (शुद्ध)	154.34	(248.52)
कुल	1,396.42	944.22

31.1 पूर्व अवधि की मदों का विवरण निम्न प्रकार है:

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
नामे		
वेतन, मजदूरी एवम् भत्ते	—	7.70
लेखापरीक्षा खर्च	0.20	—
ब्याज	156.01	—
मरम्मत एवम् रखरखाव	—	0.38
अन्य	—	—
विविध खर्च	—	—
कुल नामे	156.21	8.08
जमा		
आयकर का प्रतिदाय	1.77	249.65
ब्याज	—	6.95
विविध आय	0.10	—
कुल जमा	1.87	256.60
शुद्ध जमा / (नामे)	(154.34)	248.52

32 निम्न के लिए आकस्मिक दायित्व नहीं दिये गये:

(रुपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
(क) ग्राहक एवम् अन्य के लिए बैंकर्स द्वारा दी गई गारण्टी	1,331.49	1,021.33
(ख) अपील के अन्तर्गत विवादित सेवाकर की मांग	389.99	389.99
(ग) अपील के अन्तर्गत विवादित कस्टम ड्यूटी की मांग	191.67	191.67
(घ) केन्द्रीय उत्पाद/सेनवेट/पीएफ मांग	—	52.79
दिनांक 01.01.1997 से 22.02.2009 तक की अवधि का 1997 का पे-रिवीजन अरियर्स का अनुमानित दायित्व	12,583.99	12,583.99

आ. ४.04.2021 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बकाया वेतन है, जिसका भुगतान बाद की तारीखों पर किया गया। चूंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ अपीलीय प्राधिकारी ने भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14बी के तहत कम माँग का निपटान किया है, इसलिए वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक देयता के रूप में 52.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य लाख) की राशि का खुलासा करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, एर्नाकुलम के समक्ष अपील संख्या 254/2018 पर भरोसा किया गया है, जहाँ प्राधिकरण ने अपीलकर्ता को धारा 14बी के तहत कम जुर्माने की छूट दी है।

निर्यात एवम् आयात से सम्बन्धित सूचना

	(रुपये लाखों में)		(रुपये लाखों में)	
	2024-25		2023-24	
(अ) विदेशी विनिमय में आय सामान का निर्यात				
— खुदरा बिक्री (एफओबी के आधार पर)	213.69		238.70	
ब) आयात का मूल्य (सीआईएफ)				
— कच्चा माल	1.31		2.41	
— घटकों, पूरा आईटम तथा स्पेयर पार्ट्स	270.65		206.92	
— पूँजीगत सामान	—		—	
(स) विदेशी मुद्रा पर खर्च (विदेशी शाखा के खर्च शामिल नहीं)				
— तकनीकी ज्ञान एवम् दस्तावेज	—		—	
— अन्य	—		—	
(द) उपभोग का मूल्य कच्चा सामान				
— आयात	10.96	.67	8.33	5.04
— घरेलू	223.84	95.33	156.94	94.96
खरीदा गया सामान				
— आयात	330.76	5.93	201.73	4.54
— घरेलू	5,248.48	94.07	4,238.85	95.46
स्टोर्स एवम् स्पेयर्स				
— आयात	—	—	—	—
— घरेलू	135.98	100.00	142.22	100.00

32.1 लागू मुख्य वित्तीय अनुपात का प्रकटीकरण:

विवरण	मापन की इकाई	31.03.2025 को	31.03.2024 को	बदलाव का प्रतिशत	बदलाव का कारण
वर्तमान अनुपात	एकाधिक में	0.33	0.36	(8.31)	नकद एवम् बैंक की अच्छी स्थिति तथा लेनदारों में कमी
ऋण इक्विटी अनुपात	एकाधिक में	21.48	23.42	(8.29)	भारत सरकार के ऋण में कमी
इन्वेन्टरी टर्नओवर अनुपात	दिनों में	143	218	(34.59)	माल का बिक्री में अच्छा परिवर्तन
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	दिनों में	160	175	(8.34)	उचित संचय नीति
व्यापार देयता टर्नओवर अनुपात	दिनों में	24	39	(39.36)	अच्छे नकद प्रवाह के कारण इकाई के द्वारा भुगतान की अच्छी रणनीति अपनाई गई
शुद्ध पूँजी टर्नओवर अनुपात	दिनों में	279	354	(21.07)	टर्नओवर में बढ़त
शुद्ध लाभ अनुपात	प्रतिशत में	10.75	7.31	47.02	टर्नओवर एवम् उत्पादन में बढ़त

32.2 कंपनी कई समान इनपुट और संयंत्र एवं मशीनरी का उपयोग करके अनेक उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है। ऐसे अनेक उत्पादों के निर्माण, संयोजन और परीक्षण के लिए साझा बुनियादी ढाँचे का आवंटन करना अत्यंत कठिन है। कंपनी की गतिविधियों की विविधता के कारण और कंपनी के जोखिम और प्रतिफल भौगोलिक या आर्थिक कारकों से प्रभावित नहीं होते हैं और समग्र आँकड़ों से निर्धारित किए जा सकते हैं, इसलिए AS 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग का प्रावधान आवश्यक नहीं है।

32.3 आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 18 (एएस 18) के अनुसार, एएस 18 में परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:-

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:-

क्र.सं.	विवरण	सम्बन्ध का प्रकार
1.	थंगावेलु रवि	चेयरमैन एवम् प्रबंध निदेशक (अति . चार्ज) 25 .03.2023 से 24 .09.2024 तक
2.	पीके वशिष्ठ	चेयरमैन एवम् प्रबंध निदेशक (अति . चार्ज) 25 .09.2024 से

वर्ष के दौरान सम्बन्धित पक्षकारों से किये गये व्यवहार निम्न प्रकार हैं:-

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी:-

विवरण	व्यवहार का प्रकार	व्यवहार का मूल्य	31.03.2025 को सम्बन्धित पक्षकारों के साथ शेष
पीके वशिष्ठ (सीएमडी के पद का अतिरिक्त चार्ज) 25 .09.2024 से	महनताना	—	—

32.4 भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने अपने दिनांक 08.12.2016 के पत्र द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 30.11.2016 को आयोजित अपनी बैठक में कोटा इकाई (जिसमें कॉर्पोरेट मुख्यालय, कोटा इकाई, पी-डीडीसी इकाई और मार्केटिंग इकाई अर्थात् कोटा कॉम्प्लेक्स शामिल है) को बंद करने के निर्णय की सूचना दी और इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड की पलकड़ इकाई को डीपीई दिशानिर्देश दिनांक 07.09.2016 के अनुसार समयबद्ध तरीके से केरल सरकार को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, कोटा के सभी कर्मचारियों को 18.04.2017 को वीआरएस/वीएसएस के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया है। कोटा कॉम्प्लेक्स की अचल और चल संपत्तियाँ, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स एनबीसीसी (इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम) और मेसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बिक्री की प्रक्रिया में हैं। तदनुसार, पलकड़ इकाई के लिए 'चालू व्यवसाय' और कोटा कॉम्प्लेक्स के लिए 'गैर-चालू व्यवसाय' के आधार पर वित्त विवरण तैयार किया गया है। कोटा कॉम्प्लेक्स और पलकड़ इकाई के एकल लाभ-हानि खाते और बैलेंस शीट नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये लाखों में)

विवरण	समाप्त की गतिविधियाँ		जारी गतिविधियाँ			
	कोटा कॉम्प्लेक्स		पलकड़ इकाई		कुल योग	
	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024	2024-2025	2023-2024
संचालन से राजस्व	—	—	12,820.94	9,585.57	12,820.94	9,585.57
आंतरिक उपयोग हेतु किये गये कार्य	—	—	—	—	—	—
संचालन से कुल राजस्व	—	—	12,820.94	9,585.57	12,820.94	9,585.57
अन्य आय	309.96	290.05	248.90	303.18	558.86	593.23
कुल राजस्व	309.96	290.05	13,069.84	9,888.75	13,379.80	10,178.80
खर्च						
उपभोग की गई सामग्री की लागत	—	—	5,814.05	4,605.85	5,814.05	4,605.85
प्रगतिशील एवम् पूर्ण माल की इन्वेन्ट्री में	—	—	—	—	—	—
आया बदलाव	—	—	8.25	(388.69)	8.25	(388.69)
कर्मचारी हितार्थ खर्च	—	—	2,620.29	2,734.71	2,620.29	2,734.71
सेवाओं एवम् उप-अनुबन्धों	2.32	1.30	1,147.89	864.72	1,150.21	866.02
वित्तीय लागत	—	—	—	—	—	—
अवक्षयण एवम् परिशोधन व्यय	1.47	1.47	123.24	123.24	100.83	124.71
अन्य खर्च	200.67	(185.81)	1,130.04	1,130.04	1,396.41	944.23
कुल खर्च	204.46	(183.04)	10,885.57	9,069.86	11,090.04	8,886.83
अपवाद एवम् असाधारण मदों तथा कर						
पूर्व लाभ/(हानि)	105.50	473.09	2,184.27	818.89	2,289.76	1,291.97
अपवाद मदों की आय/(खर्च)	—	—	(911.34)	(590.98)	(911.34)	(590.98)
असाधारण मदों तथा कर पूर्व	105.50	473.09	1,272.93	227.91	1,378.43	701.00
लाभ/(हानि)	—	—	—	—	—	—
असाधारण मदें	—	—	—	—	—	—
लाभ/(हानि) कर से पूर्व	105.50	473.09	1,272.93	227.91	1,378.43	701.00
कर खर्च						
वर्तमान कर	—	—	—	—	—	—
विलम्बित कर	—	—	—	—	—	—
वर्ष की लाभ/(हानि)	105.50	473.09	1,272.93	227.91	1,378.43	701.00

दिनांक 31 मार्च, 2025 को तुलन-पत्र

(रूपये लाखों में)

विवरण	समाप्त की गतिविधियाँ		जारी गतिविधियाँ		कुल योग	
	कोटा कॉम्प्लेक्स		पलक्कड़ इकाई			
	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1. कोष का स्त्रोत						
1. अंशाधारियों का कोष						
(अ) अंश पूंजी	2,404.53	2,404.53	—	—	2,404.53	2,404.53
(ब) संचित एवं अधिशेष	(49,478.50)	(50,646.94)	—	—	(49,478.50)	(50,646.94)
2. अंश आवेदन राशि आवंटन शेष	12,200.96	12,200.96	—	—	12,200.96	12,200.96
3. अ-चल दायित्व						
(अ) दीर्घावधि ऋण	—	—	—	—	—	—
(ब) विलम्बित कर दायित्व (शुद्ध)	—	—	—	—	—	—
(स) अन्य दीर्घावधि दायित्व	—	—	320.28	223.69	320.38	223.69
(द) अन्य दीर्घावधि प्रावधान	—	—	—	—	—	—
4. चल दायित्व						
(अ) लघु अवधि ऋण	—	—	—	—	—	—
(ब) व्यापारिक अदायगी	17.82	17.82	819.16	1,014.06	836.98	1,031.87
(स) अन्य चल दायित्व	52,006.43	56,676.55	979.40	911.99	52,985.83	57,585.54
(द) व्यापारिक अदायगी	—	—	24.15	22.65	24.15	22.65
3. आंतरिक इकाई हस्तान्तरण	(12,340.68)	(11,250.03)	12,340.68	11,250.03	—	—
कुल	4,810.56	9,402.90	14,483.77	13,422.42	19,294.33	22,825.32
परिसम्पदाएँ						
(1) अचल परिसम्पदाएँ						
(अ) सम्पत्ति, संयंत्र एवम् उपकरण						
(i) भू	54.49	55.95	556.14	652.92	610.63	708.86
(ii) वाहन	—	—	90.28	38.50	90.28	38.50
(iii) अन्य	—	—	3.16	1.64	3.16	1.64
(ब) अचल निवेश	—	—	—	—	—	—
(स) दीर्घावधि ऋण एवम् अग्रिम	12.32	12.32	667.78	800.66	680.10	812.98
(द) अन्य अचल परिसम्पदाएँ	—	—	42.24	41.01	42.24	41.01
कुल	66.81	68.27	1,359.60	1,534.73	1,426.41	1,603.00
(2) चल परिसम्पदाएँ						
(क) चल निवेश	0.04	0.04	—	—	0.04	0.04
(ख) सामग्री	—	—	5,008.92	5,725.78	5,008.92	5,725.78
(ग) कार्य सिस्टम (साईट पर)	—	—	—	—	—	—
(घ) व्यापारिक प्राप्तियाँ	—	—	5,634.50	4,606.37	5,634.50	4,606.37
(ङ) नकद एवम् बैंक शेष	4,548.71	4,357.92	2,277.94	1,366.11	6,826.65	5,724.03
(च) लघु अवधि ऋण एवम् अग्रिम	65.94	64.68	21.16	50.54	87.10	115.22
(छ) अन्य चल परिसम्पदाएँ	129.06	4,911.99	181.65	138.89	310.71	5,050.87
कुल	4,743.74	9,334.63	13,124.17	11,887.69	17,867.91	21,222.33
कुल	4,810.55	9,402.90	14,1483.77	13,422.42	19,294.32	22,825.32

दिनांक 31 मार्च, 2025 को नकद प्रवाह विवरण

(रुपये लाखों में)

	विवरण	समाप्त की गतिविधियाँ		जारी गतिविधियाँ		कुल योग	
		कोटा कॉम्प्लेक्स		पलक्कड इकाई			
		31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
(अ)	संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह कर और असाधारण मदों से पहले पूर्व लाभ / (हानि):—	105.50	473.09	1,272.94	227.91	1,378.44	701.00
	मूल्यहास और परिशोधन	1.47	1.47	99.36	123.24	100.83	124.71
	अचल सम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	—	—	—	(1.63)	—	(1.63)
	सन्देशात्मक ऋण के प्राक्धान	—	—	—	—	—	—
	प्राक्धान — अन्य	—	—	—	—	—	—
	ब्याज आय	(309.94)	(289.89)	(102.32)	(119.75)	(412.26)	(409.64)
	लाभांश आय	—	—	—	—	—	—
	किराया एवम् अन्य राजस्व	—	—	—	—	—	—
	ब्याज खर्च	—	—	—	—	—	—
	कार्य पूंजी के बदलाव से पूर्व संचालित लाभ निम्न के लिए समायोजन:—	(202.97)	184.67	1,269.98	229.77	1,067.00	414.44
	निवेश	—	—	—	—	—	—
	व्यापारिक प्राप्तियाँ	—	—	(1,028.13)	359.73	(1,028.13)	359.73
	इन्वेन्टी	—	—	716.86	(1,466.90)	716.86	(1,466.90)
	ऋण एवम् अग्रिम तथा अन्य चल परिसम्पदाएँ	4,898.20	174.78	93.26	1,800.92	4,991.46	1,975.70
	व्यापारिक देयताएँ, प्राक्धान तथा अन्य दायित्व	(4,487.85)	(679.91)	(211.58)	(947.45)	(4,699.43)	(1,627.37)
	कर एवम् असाधारण मदों से पूर्व संचालित गतिविधियों से / (उपयोग में) शुद्ध रोकड़	207.38	(320.46)	840.40	(23.92)	1,047.77	(344.38)
	कर	—	—	—	—	—	—
	असाधारण मदों से पूर्व संचालित गतिविधियों से / (उपयोग में) शुद्ध रोकड़	207.38	(320.46)	840.40	(23.92)	1,047.77	(344.38)
	असाधारण मदें	—	—	—	—	—	—
	असाधारण मदों के पश्चात् संचालित गतिविधियों से / (उपयोग में) शुद्ध रोकड़	207.38	(320.46)	840.40	(23.92)	1,047.77	(344.38)
(ब)	निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	—	—	—	—	—	—
	अचल सम्पत्तियों का क्रय	—	—	(62.01)	(58.54)	(62.01)	(58.54)
	अचल सम्पत्तियों का विक्रय	—	—	6.13	3.84	6.13	3.84
	अचल सम्पत्तियों के विक्रय से लाभ	—	—	—	1.63	—	1.63
	निवेश	—	—	—	—	—	—
	प्राप्त ब्याज	309.94	289.89	102.32	119.75	412.26	409.64
	प्राप्त लाभांश	—	—	—	—	—	—
	किराया एवम् अन्य प्राप्त राजस्व	—	—	—	—	—	—
	निवेश गतिविधियों से / (उपयोग में) शुद्ध रोकड़	309.94	289.89	46.44	66.68	356.38	356.57
(स)	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	—	—	—	—	—	—
	अंश आवेदन राशि	—	—	—	—	—	—
	दीर्घावधि ऋण	—	—	—	—	—	—
	भारत सरकार को दिया गया लाभांश	(210.00)	(465.59)	—	—	(210.00)	(465.59)
	ऋण	—	—	—	—	—	—
	अदा किया गया ब्याज	—	—	—	—	—	—
	वित्तीय गतिविधियों से / (उपयोग में) शुद्ध रोकड़	(210.00)	(465.59)	—	—	(210.00)	(465.59)
(द)	नकद एवम् नकद समान में बढत (अ+ब+स)	307.32	(496.17)	886.84	42.76	1,194.14	(453.40)
	वर्ष के आरम्भ में नकद एवम् नकद प्रवाह	458.83	489.40	56.01	478.84	514.84	968.24
	वर्ष के अन्त में नकद एवम् नकद प्रवाह (नोट सं. 20 देखें)	766.15	458.83	942.83	56.01	1,708.98	514.84
	नोट:						
	1. वर्ष के अन्त में नकद एवम् नकद समान में निम्न शामिल है:—						
	नकद	—	—	0.65	3.23	0.65	3.23
	चैक	0.02	0.02	—	—	0.02	0.02
	बैंकों में शेष	—	—	—	—	—	—
	— चालू खातों	19.38	64.68	236.57	52.78	255.95	117.46
	— जमा खातों में	746.75	394.13	705.61	—	1,452.36	394.13
	वर्ष के अन्त में कुल नकद एवम् नकद समान	766.15	458.83	942.83	56.01	1,708.98	514.84

1. नकदी प्रवाह विवरण एस-3 के अनुसार बनाया गया है।

2. नकद एवम् नकद समान में नकद एवम् बैंक राशि तथा बैंक जमा शामिल है।

32.6 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

(रूपये लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
वर्ष के दौरान कम्पनी के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	37.22	41.17
खर्च की गई राशि	15.14	19.51
वर्ष के अन्त में कमी	22.08	21.65
विगत वर्ष की कमी	21.65	18.69
कमी का कारण	स्वीकृत सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने में आई कठिनाई	
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	निराश्रितों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षु वजीफे का भुगतान	
सम्बन्धित पक्षकार व्यवहार का विवरण	लागू नहीं	

31.03.2025 तक, 25.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 21.65 लाख रुपये) की राशि बैंक में सावधि जमा के रूप में निर्धारित की गई है ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की सीएसआर गतिविधियों को आगामी वर्षों में चलाया जा सके। 8. 50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि पिछले वर्षों की अप्रयुक्त राशि से संबंधित सावधि जमा के रूप में पड़ी हुई है।
32.7 अपवाद मर्दे:-

विवरण	2024-25	2023-24
1. विगत वर्षों का वेतन रिवीजन का दायित्व (पलक्कड इकाई) ₹	325.82	395.97
. विगत अवधि का एलडी प्रावधान (पलक्कड इकाई) ₹	59.46	195.01
3. विगत अवधि का संदेहास्पद ऋण (पलक्कड इकाई) ₹	526.06	—
	911.33	590.98

- पिछले वर्षों के वेतन संशोधन के बकाया के लिए देयता ₹194.36 लाख रुपये और बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रावधान कंपनी की सेवाएं छोड़ने वाले कर्मचारियों को दिए गए अप्राप्य पूर्व-कर्मचारी अग्रिम के लिए ₹131.46 लाख रुपये।
- वर्ष 2024-25 के खातों में ₹526.06 लाख (पिछले वर्ष शून्य लाख) का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 तक के लिए एलडी के अलावा, अर्थात 5 वर्ष से अधिक पुरानी प्राप्य राशियों के लिए। चालू वर्ष के दौरान पूर्व अवधि के एलडी प्रावधान 59.45 लाख (पिछले वर्ष ₹195.01 लाख)।

32.8 एक्चुरियल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए ₹74.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹30.95 लाख रुपये) अर्जित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान किया है। कर्मचारियों की अर्जित अवकाश देनदारियों के निर्धारण हेतु ₹301.62 लाख रुपये की सावधि जमा राशि निर्धारित की गई है, जिसका आज तक उपयोग नहीं किया गया है। पूर्व कर्मचारियों के 2007 के वेतन संशोधन के कारण ग्रेच्युटी बकाया के रूप में, कंपनी द्वारा चालू वर्ष के दौरान ₹119.45 लाख रुपये (पिछले वर्ष ₹114.43 लाख रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।

32.9 एस-20 के प्रावधानों के अनुसार प्रति अंश आय:-

	(राशि लाखों में)	
प्रति अंश आय	31.03.2025	31.03.2024
लाभ व हानि विवरण के अनुसार कर के पश्चात् लाभ (दिग्दर्शक के रूप में)	1,378.43	701.00
द्वारा प्रति	240,453	240,453
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	240,453	240,453
प्रति शेयर तनु आय की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	976,949	976,949
प्रति अंश मूल आय (रु. प्रति अंश)	573.26	291.52
(मूल मूल्य 1000/- रु. प्रति)		
प्रति अंश तनु आय (रु. प्रति अंश)	141.10	71.75
(मूल मूल्य 1000/- रु. प्रति)		

- 32.10 जहाँ भी आवश्यक समझा गया, आँकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है। कोष्ठक () में दिए गए आँकड़े कटौती दर्शाते हैं।
- 32.11 जहाँ भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 32.12 पलक्कड़ इकाई के आँकड़ों को जहाँ भी आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 32.13 नोट संख्या 1 से 32 बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण का अभिन्न अंग हैं। मण्डल की ओर से

एसीएस अंजली गुप्ता
कम्पनी सचिव
सदस्य क्र.: 49251

मदन पाल सिंह
निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 08414417

पीके वशिष्ठ
कार्यकारी निदेशक
निदेशक पहचान सं.: 10828370

इस तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एन.सिंघल एण्ड कम्पनी की ओर से
चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 006249सी

स्थान: पलक्कड़
दिनांक: 04 जुलाई, 2025
यूडिन: 254550BMFXSB7368
दिनांक: 04.07.2025

सीए नरेश कुमार जैन
भागीदार
सदस्य क्रमांक: 455046

OUR PLANTS AND OFFICES

	Address	Telephone	E-mail/Website
CORPORATE HEAD-QUARTER & REGISTERED OFFICE	Sitapura Industrial Area, Jaipur- 302 022	0141-2771885	
PLANT	Kanjikode West Palakkad-678 623 Kerala	0491-2566127-30 04931-2566132	contact@ilpgt.com gm@ilpgt.com www.ilpgt.com





एक कदम स्वच्छता की ओर



इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड